ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସମ୍ବଲପୁର
Odisha State Open University (OSOU)
Sambalpur

खंड

5

अनुवाद का सैद्धान्तिक स्वरूप

इकाई–01 : अनुवाद : अर्थ, परिभाषा एवं क्षेत्र 03

इकाई–02 : अनुवाद : प्रकार और प्रकृति 20

इकाई–03 : अनुवाद : स्वरूप, प्रक्रिया एवं सीमाएँ 34

इकाई–04 : अनुवाद और भाषाविज्ञान 48

इकाई–05 : अनुवाद : महत्ता एवं आवश्यकता 61

पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति

डॉ. अजय कुमार पट्टनायक
प्रोफेसर एवं भूतपूर्व विभागाध्यक्ष
रेवेन्शा विश्वविद्यालय, कटक

डॉ. कमल प्रभा कपानी
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
बरगढ़ महाविद्यालय, बरगढ़

डॉ. सदन कुमार पॉल
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
गंगाधर मेहेर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर

डॉ. मुरारी लाल शर्मा
अध्यक्ष, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग
सम्बलपुर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर

डॉ. जी. एम. खान
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
बी.जे.बी स्वयंशासित महाविद्यालय
भुबनेश्वर

डॉ. संजय सिंह
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
राजेन्द्र स्वयंशासित महाविद्यालय
बलांगीर

डॉ. जयन्त कर शर्मा
कुलसचिव
ओड़िशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, सम्बलपुर

प्रस्तुतकर्ता

डॉ. छबिल कुमार मेहेर
क्वा. नं. : सी–100, विश्वविद्यालय परिसर
डॉक्टर हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय,
सागर, मध्यप्रदेश–470003,
मो. 08989154228, दूरभाष : 07582–264128
ई.–मेल : meherchhabilakumar@gmail.com

पाठ्यक्रम संयोजन एवं सामग्री उत्पादन

डॉ. जयन्त कर शर्मा
कुलसचिव
ओड़िशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, सम्बलपुर

CC BY SA

जनवरी, 2017
ओड़िशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय

मुद्रण : *श्रीमंदिर पब्लिकेशन्स, शहीद नगर, भुवनेश्वर*

इकाई–1 : अनुवाद : अर्थ, परिभाषा एवं क्षेत्र

रूपरेखा

1. उद्देश्य
2. प्रस्तावना
3. अनुवाद : सामान्य परिचय
    - 3.1 अनुवाद का सामान्य परिचय
    - 3.2 अनुवाद का अर्थ
    - 3.3 अनुवाद की परिभाषा
4. अनुवाद और अनुवादक
    - 4.1 अनुवाद कर्म : एक बहस
    - 4.2 अनुवाद और अनुवादक
5. अनुवाद के क्षेत्र
6. बोध प्रश्न
7. सारांश
8. बोध प्रश्नों के उत्तर

1. उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- अनुवाद का सामान्य परिचय पा सकेंगे;
- अनुवाद का अर्थ एवं परिभाषा जान सकेंगे;
- अनुवाद और अनुवादक के सम्बन्ध को रेखांकित कर सकेंगे;
- अनुवादक के गुण को समझ सकेंगे;
- अनुवाद के क्षेत्र से परिचित हो सकेंगे;

2. प्रस्तावना

अनुवाद के सामान्य सिद्धान्त से परिचय कराने की दृष्टि से प्रस्तुत अध्याय 'अनुवाद : अर्थ, परिभाषा एवं क्षेत्र' में 'अनुवाद' शब्द का अर्थ, अनुवाद कार्य से आशय एवं अनुवाद की परिभाषाओं की चर्चा की गई है। इसके साथ

ही अनुवाद और अनुवादक के रिश्ते, अनुवादक के गुण, अनुवाद के क्षेत्र की चर्चा भी सविस्तार की गई है।

3. अनुवाद : सामान्य परिचय

3.1 अनुवाद का सामान्य परिचय

भारत में अनुवाद की परम्परा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। कहते हैं अनुवाद उतना ही प्राचीन जितनी कि भाषा।

आज 'अनुवाद' शब्द हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है। विभिन्न भाषायी मंच पर, साहित्यिक पत्रिकाओं में, अखबारों में तथा रोजमर्रा के जीवन में हमें अक्सर 'अनुवाद' शब्द का प्रयोग देखने–सुनने को मिलता है। साधारणतः एक भाषा–पाठ में निहित अर्थ या संदेश को दूसरे भाषा–पाठ में यथावत् व्यक्त करना अर्थात् एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कहना अनुवाद है। परंतु यह कार्य उतना आसान नहीं, जितना कहने या सुनने में जान पड़ रहा है। दूसरा, अनुवाद सिद्धांत की चर्चा करना और व्यावहारिक अनुवाद करना–दो भिन्न प्रदेशों से गुजरने जैसा है, फिर भी इसमें कोई दो राय नहीं कि अनुवाद के सिद्धांत हमें अनुवाद कर्म की जटिलताओं से परिचित कराते हैं। फिर, किसी भी भाषा के साहित्य में और ज्ञान–विज्ञान के क्षेत्र में जितना महत्त्व मूल लेखन का है, उससे कम महत्त्व अनुवाद का नहीं है। लेकिन सहज और संप्रेषणीय अनुवाद मूल लेखन से भी कठिन काम है। भारत जैसे बहुभाषी देश के लिए अनुवाद की समस्या और भी महत्त्वपूर्ण है। इसकी जटिलता को समझना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है।

3.2 अनुवाद का अर्थ

अनुवाद एक भाषिक क्रिया है। भारत जैसे बहुभाषा–भाषी देश में अनुवाद का महत्त्व प्राचीन काल से ही स्वीकृत है। आधुनिक युग में जैसे–जैसे स्थान और समय की दूरियाँ कम होती गईं वैसे–वैसे द्विभाषिकता की स्थितियों और मात्रा में वृद्धि होती गई और इसके साथ–साथ अनुवाद का महत्त्व भी बढ़ता गया। अन्यान्य भाषा–शिक्षण में अनुवाद विधि का प्रयोग न केवल पश्चिमी देशों में वरन् पूर्वी देशों में भी निरन्तर किया जाता रहा है। बीसवीं शताब्दी में देशों के बीच दूरियाँ कम होने के परिणामस्वरूप विभिन्न वैचारिक धरातलों और आर्थिक, औद्योगिक स्तरों पर पारस्परिक भाषिक विनिमय बढ़ा है और इस विनिमय के साथ–साथ अनुवाद का प्रयोग और अधिक किया जाने लगा है। बहरहाल, अनुवाद की प्रक्रिया, प्रकृति एवं पद्धति

को समझने के लिए 'अनुवाद क्या है ?' जानना बहुत ज़रूरी है। चर्चा की शुरुआत 'अनुवाद' के अर्थ एवं परिभाषा' से करते हैं।

'अनुवाद' का अर्थ– अंग्रेजी में एक कथन है : 'Terms are to be identified before we enter into the argument'। इसलिए अनुवाद की चर्चा करने से पहले 'अनुवाद' शब्द में निहित अर्थ और मूल अवधारणा से परिचित होना आवश्यक है। 'अनुवाद' शब्द संस्कृत का यौगिक शब्द है जो 'अनु' उपसर्ग तथा 'वाद' के संयोग से बना है। संस्कृत के 'वद्' धातु में 'घञ' प्रत्यय जोड़ देने पर भाववाचक संज्ञा में इसका परिवर्तित रूप है 'वाद'। 'वद्' धातु का अर्थ है 'बोलना या कहना' और 'वाद' का अर्थ हुआ 'कहने की क्रिया' या 'कही हुई बात'। 'अनु' उपसर्ग अनुवर्तिता के अर्थ में व्यवहृत होता है। 'वाद' में यह 'अनु' उपसर्ग जुड़कर बनने वाला शब्द 'अनुवाद' का अर्थ हुआ–'प्राप्त कथन को पुनः कहना'। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि 'पुनः कथन' में अर्थ की पुनरावृत्ति होती है, शब्दों की नहीं। हिन्दी में अनुवाद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले अन्य शब्द हैं : छाया, टीका, उल्था, भाषान्तर आदि। अन्य भारतीय भाषाओं में 'अनुवाद' के समानान्तर प्रयोग होने वाले शब्द हैं : भाषान्तर(संस्कृत, कन्नड़, मराठी), तर्जुमा (कश्मीरी, सिंधी, उर्दू), विवर्तन, तर्ज्जुमा(मलयालम), मोषिये चर्ण्यु(तमिल), अनुवादम्(तेलुगु), अनुवाद (संस्कृत, हिन्दी, असमिया, बांग्ला, कन्नड़, ओड़िआ, गुजराती, पंजाबी, सिंधी)।

प्राचीन गुरु–शिष्य परम्परा के समय से 'अनुवाद' शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में भारतीय वाङ्मय में होता आ रहा है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में गुरु द्वारा उच्चरित मंत्रों को शिष्यों द्वारा दोहराये जाने को 'अनुवचन' या 'अनुवाक्' कहा जाता था, जो 'अनुवाद' के ही पर्याय हैं। महान् वैयाकरण पाणिनी ने अपने 'अष्टाध्यायी' के एक सूत्र में अनुवाद शब्द का प्रयोग किया है : 'अनुवादे चरणानाम्'। 'अष्टाध्यायी' को 'सिद्धान्त कौमुदी' के रूप में प्रस्तुत करने वाले भट्टोजि दीक्षित ने पाणिनी के सूत्र में प्रयुक्त 'अनुवाद' शब्द का अर्थ 'अवगतार्थस्य प्रतिपादनम्' अर्थात् 'ज्ञात तथ्य की प्रस्तुति' किया है। 'वात्स्यायन भाष्य' में 'प्रयोजनवान् पुनःकथन' अर्थात् पहले कही गई बात को उद्देश्यपूर्ण ढंग से पुनः कहना ही अनुवाद माना गया है। इस प्रकार भर्तृहरि ने भी अनुवाद शब्द का प्रयोग दुहराने या पुनर्कथन के अर्थ में किया है : 'आवृत्तिरनुवादो वा'। 'शब्दार्थ चिन्तामणि' में अनुवाद शब्द की दो व्युत्पत्तियाँ दी गई हैं : 'प्राप्तस्य पुनः कथनम्' व 'ज्ञातार्थस्य प्रतिपादनम्'। प्रथम व्युत्पत्ति के अनुसार 'पहले कहे गये अर्थ ग्रहण कर उसको पुनः कहना अनुवाद है' और द्वितीय व्युत्पत्ति के अनुसार 'किसी के द्वारा कहे गये को भलीभाँति समझ कर उसका विन्यास करना अनुवाद है। दोनों व्युत्पत्तियों को मिलाकर अगर कहा जाए 'ज्ञातार्थस्य पुनः कथनम्', तो स्थिति अधिक स्पष्ट

हो जाती है। इस परिभाषा के अनुसार किसी के कथन के अर्थ को भलीभाँति समझ लेने के उपरान्त उसे फिर से प्रस्तुत करने का नाम अनुवाद है।

संस्कृत में 'अनुवाद' शब्द का प्रयोग बहुत प्राचीन होते हुए भी हिन्दी में इसका प्रयोग बहुत बाद में हुआ। हिन्दी में आज अनुवाद शब्द का अर्थ उपर्युक्त अर्थों से भिन्न होकर केवल मूल–भाषा के अवतरण में निहित अर्थ या सन्देश की रक्षा करते हुए दूसरी भाषा में प्रतिस्थापन तक सीमित हो गया है। अंग्रेजी विद्वान मोनियर विलियम्स ने सर्वप्रथम अंग्रेजी में 'translation' शब्द का प्रयोग किया था। 'अनुवाद' के पर्याय के रूप में स्वीकृत अंग्रेजी 'translation' शब्द, संस्कृत के 'अनुवाद' शब्द की भाँति, लैटिन के 'trans' तथा 'lation' के संयोग से बना है, जिसका अर्थ है 'पार ले जाना'–यानी एक स्थान बिन्दु से दूसरे स्थान बिन्दु पर ले जाना। यहाँ एक स्थान बिन्दु 'स्रोत–भाषा' या 'Source Language' है तो दूसरा स्थान बिन्दु 'लक्ष्य–भाषा' या 'Target Language' है और ले जाने वाली वस्तु 'मूल या स्रोत–भाषा में निहित अर्थ या संदेश होती है। 'ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी' में 'Translation' का अर्थ दिया गया है–'a written or spoken rendering of the meaning of a word, speech, book, etc. in an another language.' ऐसे ही 'वैब्स्टर डिक्शनरी' का कहना है–'Translation is a rendering from one language or representational system into another. Translation is an art that involves the recreation of work in another language, for readers with different background.'

बहरहाल, अनुवाद का मूल अर्थ होता है–पूर्व में कथित बात को दोहराना, पुनरुक्ति या अनुवचन जो बाद में पूर्वोक्त निर्देश की व्याख्या, टीका–टिप्पणी करने के लिए प्रयुक्त हुआ। परंतु आज 'अनुवाद' शब्द का अर्थ विस्तार होकर एक भाषा–पाठ (स्रोत–भाषा) के निहितार्थ, संदेशों, उसके सामाजिक–सांस्कृतिक तत्त्वों को यथावत् दूसरी भाषा (लक्ष्य–भाषा) में अंतरण करने का पर्याय बन चुका है। चूँकि दो भिन्न–भिन्न भाषाओं की अलग–अलग प्रकृति, संरचना, संस्कृति, समाज, रीति–रिवाज, रहन–सहन, वेशभूषा होती हैं, अतः एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में यथावत् रूपांतरित करते समय समतुल्य अभिव्यक्ति खोजने में कभी–कभी बहुत कठिनाई होती है। इस दृष्टि से अनुवाद एक चुनौती भरा कार्य प्रतीत होता है जिसके लिए न केवल लक्ष्य–भाषा और स्रोत–भाषा पर अधिकार होना जरूरी है बल्कि अनुद्य सामग्री के विषय और संदर्भ का गहरा ज्ञान भी आवश्यक है। अतः अनुवाद दो भाषाओं के बीच एक सांस्कृतिक सेतु जैसा ही है, जिस पर चलकर दो भिन्न भाषाओं के मध्य स्थित समय तथा दूरी के अंतराल को पार कर भावात्मक

एकता स्थापित की जा सकती है। अनुवाद के इस दोहरी क्रिया को निम्नलिखित आरेख से आसानी से समझा जा सकता है :

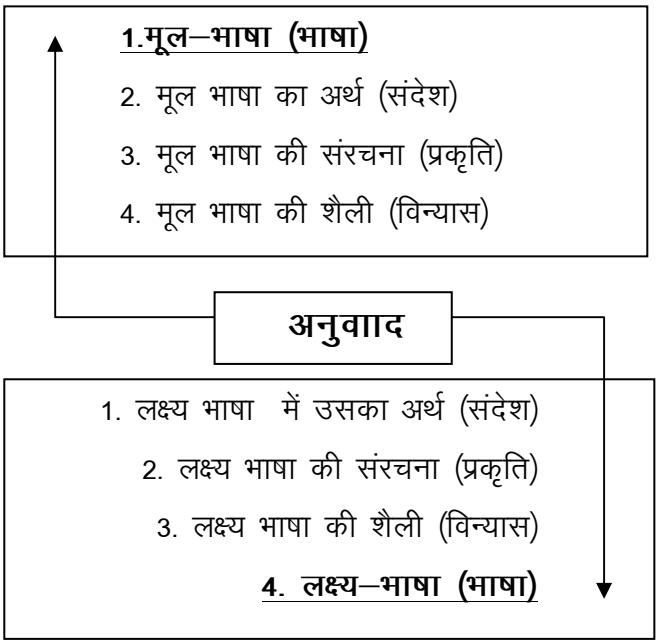

3.3 अनुवाद की परिभाषा

साधारणतः अनुवाद कर्म में हम एक भाषा में व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करते हैं। अनुवाद कर्म के मर्मज्ञ विभिन्न मनीषियों द्वारा प्रतिपादित अलग–अलग शब्दों में परिभाषित किए हैं। अनुवाद के पूर्ण स्वरूप को समझने के लिए यहाँ कुछ महत्त्वपूर्ण परिभाषाओं का उल्लेख किया जा रहा है :

(क)–***पाश्चात्य चिन्तन***

1. *नाइडा* :

> 'अनुवाद का तात्पर्य है स्रोत–भाषा में व्यक्त सन्देश के लिए लक्ष्य–भाषा में निकटतम सहज समतुल्य सन्देश को प्रस्तुत करना। यह समतुल्यता पहले तो अर्थ के स्तर पर होती है फिर शैली के स्तर पर।'

2. *जॉन कनिंगटन :*

> 'लेखक ने जो कुछ कहा है, अनुवादक को उसके अनुवाद का प्रयत्न तो करना ही है, जिस ढंग से कहा, उसके निर्वाह का भी प्रयत्न करना चाहिए।'

3. *कैटफोड* :

> 'एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री से प्रतिस्थापना ही अनुवाद है।'

4. *सैमुएल जॉनसन* :

'मूल भाषा की पाठ्य सामग्री के भावों की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में बदल देना अनुवाद है।'

5. *फॉरेस्टन* :

'एक भाषा की पाठ्य सामग्री के तत्त्वों को दूसरी भाषा में स्थानान्तरित कर देना अनुवाद कहलाता है। यह ध्यातव्य है कि हम तत्त्व या कथ्य को संरचना (रूप) से हमेशा अलग नहीं कर सकते हैं।'

6. *हैलिडे* :

'अनुवाद एक सम्बन्ध है जो दो या दो से अधिक पाठों के बीच होता है, ये पाठ समान स्थिति में समान प्रकार्य सम्पादित करते हैं।'

7. *न्यूमार्क* :

'अनुवाद एक शिल्प है, जिसमें एक भाषा में व्यक्त सन्देश के स्थान पर दूसरी भाषा के उसी सन्देश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है।'

इस प्रकार नाइडा ने अनुवाद में अर्थ पक्ष तथा शैली पक्ष, दोनों को महत्त्व देने के साथ–साथ दोनों की समतुल्यता पर भी बल दिया है। जहाँ नाइडा ने अनुवाद में मूल–पाठ के शिल्प की तुलना में अर्थ पक्ष के अनुवाद को अधिक महत्त्व दिया है, वहीं कैटफोड अर्थ की तुलना में शिल्प सम्बन्धी तत्त्वों को अधिक महत्त्व देते हैं। सैमुएल जॉनसन ने अनुवाद में भावों की रक्षा की बात कही है, तो न्यूमार्क ने अनुवाद कर्म को शिल्प मानते हुए निहित सन्देश को प्रतिस्थापित करने की बात कही है। कैटफोड ने अनुवाद को पाठ सामग्री के प्रतिस्थापन के रूप में परिभाषित किया है। उनके अनुसार यह प्रतिस्थापन भाषा के विभिन्न स्तरों (स्वन, स्वनिम, लेखिम), भाषा की वर्ण सम्बन्धी इकाइयों (लिपि, वर्णमाला आदि), शब्द तथा संरचना के सभी स्तरों पर होना चाहिए। नाइडा, कैटफोड, न्यूमार्क तथा सैमुएल जॉनसन की उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि अनुवाद एक भाषा पाठ में व्यक्त (निहित) सन्देश को दूसरी भाषा पाठ में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का परिणाम है। हैलिडे अनुवाद को प्रक्रिया या उसके परिणाम के रूप में न देख कर उसे दो भाषा–पाठों के बीच ऐसे सम्बन्ध के रूप में परिभाषित करते हैं, जो दो भाषाओं के पाठों के मध्य होता है ।

(ख)–***भारतीय चिन्तन***

1. *देवेन्द्रनाथ शर्मा* :

'विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपान्तरित करना अनुवाद है।'

2. *भोलानाथ तिवारी* :

'किसी भाषा में प्राप्त सामग्री को दूसरी भाषा में भाषान्तरण करना अनुवाद है, दूसरे शब्दों में एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथा सम्भव और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास ही अनुवाद है।'

3. *पट्टनायक* :

'अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक अनुभव (अर्थपूर्ण सन्देश या सन्देश का अर्थ) को एक भाषा–समुदाय से दूसरी भाषा–समुदाय में सम्प्रेषित किया जाता है।'

4. *विनोद गोदरे :*

'अनुवाद, स्रोत–भाषा में अभिव्यक्त विचार अथवा व्यक्त अथवा रचना अथवा सूचना साहित्य को यथासम्भव मूल भावना के समानान्तर बोध एवं संप्रेषण के धरातल पर लक्ष्य–भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया है।'

5. *रीतारानी पालीवाल* :

'स्रोत–भाषा में व्यक्त प्रतीक व्यवस्था को लक्ष्य–भाषा की सहज प्रतीक व्यवस्था में रूपान्तरित करने का कार्य अनुवाद है।'

6. *दंगल झाल्टे* :

'स्रोत–भाषा के मूल पाठ के अर्थ को लक्ष्य–भाषा के परिनिष्ठित पाठ के रूप में रूपान्तरण करना अनुवाद है।'

7. *बालेन्दु शेखर तिवारी* :

अनुवाद एक भाषा समुदाय के विचार और अनुभव सामग्री को दूसरी भाषा समुदाय की शब्दावली में लगभग यथावत् सम्प्रेषित करने की सोद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है।'

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि अनुवाद की परिकल्पना में स्रोत–भाषा की सामग्री लक्ष्य–भाषा में उसी रूप में, सम्पूर्णता में प्रकट होती है। सामग्री के साथ प्रस्तुति के ढंग में भी समानता हो। मूल–भाषा से लक्ष्य–भाषा में रूपान्तरित करने में स्वाभाविकता का निर्वाह अनिवार्यतः हो। और लक्ष्य–भाषा में व्यक्त विचारों में ऐसी सहजता हो कि वह मूल–भाषा पर आधारित न होकर स्वयं मूल–भाषा होने का एहसास पैदा करे। हम यह भी लक्ष्य करते हैं कि लगभग सभी परिभाषाओं में अनुवाद–प्रक्रिया को शामिल किया गया है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर 'अनुवाद' को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है :

'अनुवाद, मूल–भाषा या स्रोत–भाषा में निहित अर्थ (या सन्देश) व शैली को यथा सम्भव सहज समतुल्य रूप में लक्ष्य–भाषा की प्रकृति व शैली के अनुसार परिवर्तित करने की सोद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है।'

4. अनुवाद और अनुवादक

साधारणतः एक भाषा–पाठ मे निहित अर्थ या सन्देश को दूसरी भाषा–पाठ में यथावत व्यक्त करना अर्थात् एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कहना 'अनुवाद' है। परन्तु यह कार्य उतना आसान नहीं, जितना कहने या सुनने में जान पड़ रहा है। चूँकि दो भिन्न भाषाओं की अलग–अलग प्रकृति, संरचना, संस्कृति, समाज, रीति–रिवाज़, रहन–सहन, वेश–भूषा होती है, अतः एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में यथावत् रूपान्तरित करते समय समतुल्य अभिव्यक्ति खोजने में कभी–कभी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस दृष्टि से अनुवाद एक चुनौती भरा कार्य प्रतीत होता है, जिसके लिए न केवल लक्ष्य–भाषा और स्रोत–भाषा पर अधिकार होना ज़रूरी है बल्कि अनुद्य सामग्री के विषय और सन्दर्भ का गहरा ज्ञान भी आवश्यक है। अतः अनुवाद दो भाषाओं के बीच एक सांस्कृतिक सेतु जैसा ही है, जिस पर चलकर दो भिन्न भाषाओं के मध्य स्थित समय तथा दूरी के अन्तराल को पार कर भावात्मक एकता स्थापित की जा सकती है।

अनुवाद मूल लेखन से भी अधिक कठिन कार्य है। इसकी सबसे पहली और अनिवार्य अपेक्षा स्रोत–भाषा एवं लक्ष्य–भाषा का अच्छा ज्ञान है। हर भाषा विशिष्ट परिवेश में पनपती है, अतः उसकी ध्वन्यात्मक, शाब्दिक, वाक्यात्मक, मुहावरे और लोकोक्ति विषयक निजी विशेषताएँ होती हैं जो अन्य भाषाओं से काफ़ी भिन्न होती हैं। जिससे स्रोत–भाषा की पूर्णतः समान अभिव्यक्ति लक्ष्य–भाषा में कर पाना सर्वदा सम्भव नहीं होता है। स्रोत–भाषा की अभिव्यक्ति में जो अर्थ व्यक्त होता है उसकी तुलना में लक्ष्य–भाषा में व्यक्त किया गया अर्थ या तो विस्तृत या संकुचित या कुछ भिन्न होता है। चूँकि स्रोत–भाषा और लक्ष्य–भाषा में पूर्णतः समतुल्य अभिव्यक्तियाँ नहीं मिलतीं, अतः अनुवादक कभी–कभी उनमें समानता लाने के मोह में ऐसे प्रयोग कर देता है जो लक्ष्य–भाषा की प्रकृति में सहज नहीं होते। भिन्न–भिन्न भाषाओं में अनुवाद करते समय भिन्न–भिन्न समस्याएँ सामने आती हैं। जैसे चीनी, जापानी आदि भाषाएँ ध्वन्यात्मक न होने के कारण उनमें तकनीकी शब्दों को

अनूदित करना श्रम साध्य होता है। अनुवाद करते समय नामों के अनुवाद की समस्या भी सामने आती है। लिप्यन्तरण करने पर उनके उच्चारण में बहुत अन्तर आ जाता है। स्थान विशेष भी भाषा को बहुत प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए एस्किमो भाषा में बर्फ के ग्यारह नाम हैं जिसे दूसरी भाषा में अनुवाद करना सम्भव नहीं है।

अनुवादक के लिए मूल–पाठ का सन्दर्भ जानना, काल व परिस्थितियों से अवगत होना भी बहुत आवश्यक है अनुवाद की तुलना परकाया प्रवेश से की गई है। भाषा जीवन्त और निरन्तर परिवर्तनशील है। भाषा की इस प्रकृति के कारण अनुवाद का कार्य दुगुना कठिन हो जाता है। अतः अनुवादक द्वारा एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में व्यक्त करने की चेष्टा मात्र की जा सकती है। अनुवादक के लिए उन मानसिक संवेदनाओं और अनुभूतियों तक पैठ पाना कठिन होता है जिनमें मूल लेखक अपनी कृति का सर्जन करते हैं।

4.1 अनुवाद कर्म : एक बहस

अनुवाद कर्म के मर्मज्ञ विद्वानों द्वारा प्रतिपादित अनुवाद की परिभाषाएँ निश्चय ही अनुवाद के विभिन्न सकारात्मक पहलुओं व विशेषताओं पर प्रकाश डालती हैं। पर अनुवाद के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों ने ऐसे भी मत व्यक्त किए हैं जो अनुवाद विरोधी जान पड़ते हैं। कुछ ऐसे उल्लेखनीय कथन यहाँ द्रष्टव्य हैं :

1–'Translation is a sin' अर्थात् अनुवाद करना पाप है । *(–शॅवरमैन)*

2–'There is no such thing as translation' अर्थात् अनुवाद नाम की कोई चीज़ नहीं होती। *(–मे)*

3–'Translation is a Compromise' अर्थात् अनुवाद महज एक समझौता है। *(–जोवेट)*

4–'Traduttore traditore' अर्थात् अनुवादक बड़े गद्दार होते हैं। *(–इतालवी कहावत)*

5–कला की एक विधा के रूप में अनुवाद कभी सफल नहीं हो सकते। *(–राजगोपालाचारी)*

इस क्रम में एक और विद्वान का मत भी यहाँ उल्लेखनीय है : 'Translations are like women, if beautiful not faithful, if faithful not beautiful.' कहने का तात्पर्य यह है कि अनुवाद यदि सुन्दर होगा तो मूलनिष्ठ नहीं और मूलनिष्ठ होगा तो सुन्दर नहीं। बावजूद इसके अनुवाद कार्य कभी नहीं रुका, बल्कि एक समन्वयवादी की तरह समतुल्य दृष्टि लेकर, सुन्दर एवं मूलनिष्ठ होने की आकांक्षा लेकर, पाप में पुण्य की खोज करते

हुए, समझौते में ही अपनी विजय मानकर निरन्तर आगे बढ़ता गया है। परिणाम स्वरूप आज अनुवाद विश्व की समस्त महान् कृतियों को अंगीकार कर चुका है। इसलिए महान् उपन्यासकार खुशवंत सिंह को स्वीकार करना पड़ा–'हरेक कृति अनुवाद योग्य है'। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि–'हर कृति का अच्छा अनुवाद नहीं किया जा सकता।' मगर यहाँ उल्लेखनीय है कि किसी भी अच्छी कृति का अनुवाद अगर दो भाषाओं में किया जाए तो ज़रूरी नहीं कि दोनों अनुवादों में एक सा आनन्द मिले। उदाहरण के लिए आज 'गोदान' न जाने कितनी भाषाओं में अनूदित हो चुका है। आप अगर इसके दो भिन्न अनुवादों की तुलना करेंगे तो पाएँगे कि एक की तुलना में दूसरा (कोई एक) ज़रूर अच्छा होगा । इतना ही नहीं, हो सकता है कि उनमें से एक अगर मूल 'गोदान' से भी सुन्दर हो तो दूसरा मूल के सौन्दर्य को निखारने में असफल रहा हो। इसके पीछे जो कारण है वह यह है कि स्रोत–भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता और लक्ष्य–भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता में अन्तर होता है, तथा यह ज़रूरी नहीं कि लक्ष्य–भाषा में स्रोत–भाषा की सम्पूर्ण अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की क्षमता हो। इसीलिए मामा वरेरकर ने कहा है–'लेखक होना आसान है, किन्तु अनुवादक होना अत्यन्त कठिन।'

किन्तु अनुवादक बनने या अनुवाद करने के पीछे जो चुनौती छिपी रहती है वह भी सर्वविदित है । फिर भी आज बाज़ार में अनूदित कृतियाँ, मूल रचनाओं के बीच एक स्वतंत्र सत्ता लिए खड़ी हैं। आज अनुवाद कर्म न तो 'दोयम दर्जे' का है और न ही 'Thankless job' बल्कि दो भाषाओं के मूल में निहित दो संस्कृतियों को करीब लाने वाला महान् कार्य है । सच तो यह है कि मौजूदा परिप्रेक्ष्य में हम एक पल भी अनुवाद के बिना रहने की कल्पना नहीं कर सकते । कार्ल वॉसलर के शब्दों में 'If one denies the concept of translation, one must give up the concept of a language community.' इसमें कोई दो राय नहीं कि अनुवाद की राह में सैकड़ों काँटे हैं, कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, फिर भी दो भाषाओं की संरचनात्मक, व्याकरणिक, सांस्कृतिक और मिथकीय जैसी कई गुत्थियों को सुलझाकर इस दुष्कर कार्य को किया जाता रहा है। हमें इन मुश्किलों से घबरा कर अनुवाद से दूर नहीं भागना चाहिए।

4.2 अनुवाद और अनुवादक

'अनुवाद, अनुवाद न लगे'–यही अनुवाद की सुन्दरता है। और अनुवाद, अनुवाद न लगने के लिए विद्वानों ने अनुवादक के गुण, अनुवादक के दायित्व, अनुवादक से अपेक्षाएँ, अनुवाद की विशेषताओं के सन्दर्भ में जिन बातों का उल्लेख किया है, उनका सार इस प्रकार है :

क–*अनुवादक के गुण* :

1. गहरी सामाजिक प्रतिबद्धता,
2. सर्जनात्मक प्रतिभा,
3. स्रोत–भाषा एवं लक्ष्य–भाषा की सम्यक् जानकारी,
4. जीवन का व्यापक और गहरा अनुभव,
5. विभिन्न विषयों का ज्ञान।

ख–*अनुवादक के दायित्व* :

1. मूलनिष्ठता का निर्वाह,
2. बोधगम्यता एवं सम्प्रेषणीयता,
3. निष्ठा एवं अभ्यास की निरन्तरता,
4. विषय का सम्यक् ज्ञान तथा उसमें अभिरुचि।

ग–*अनुवादक से अपेक्षाएँ* :

1. अभिव्यक्ति पर पूर्ण नियंत्रण,
2. विषय के अनुरूप भाषा विधान,
3. स्रोत–भाषा के साहित्य एवं समय के प्रति अभिरुचि का विकास।

घ–*सफल अनुवाद की पहचान* :

1. अनुवाद मूलनिष्ठ हो,
2. उसकी भाषा शुद्ध व सुवाच्य होने के साथ–साथ प्रवाहमयी भी हो,
3. अनुवाद की गंध से यथा सम्भव मुक्त हो।

अतः इतना तो स्पष्ट है कि अनुवाद कर्म उतना आसान काम नहीं है, जितना समझा जाता रहा है। यह भी सच है कि सफल अनुवाद हेतु अनुवादक से जिन गुण, दायित्व व अपेक्षाओं की आशा की जाती हैं, वे सब के सब किसी अनुवादक में या शत–प्रतिशत उसके अनुवाद में ढूँढना शायद लाज़मी नहीं है। बावजूद इसके 'God of Small Things', 'Wings of Fire', 'Mid-night Children', 'Suitable Boy', 'The Company of Women' जैसी कृतियों के सुन्दर अनुवाद बहुत ही कम समय में होकर प्रशंसित हुए। इन अनूदित कृतियों को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि अनुवादकों ने मूल के समान रचनाधर्मिता का निर्वाह ही नहीं किया बल्कि लक्ष्य–भाषा की प्रकृति के अनुसार विषय वस्तु के साथ न्याय भी किया है। इसमें अनुवादकों की नव–प्रवर्तनकारी प्रतिभा के दर्शन होते हैं। आज अनुवाद कर्म के प्रति समर्पित

अनुवाद–पुजारियों की कमी नहीं है जो अनुवाद कर्म की चुनौतियों को स्वीकार कर उसे मूल के अनुरूप अभिव्यक्ति देकर अपने उत्तरदायित्व को बखूबी निभा रहे हैं।

परन्तु सरकारी कार्यालयों में कार्यरत अनुवादक और स्वेच्छा से अनुवाद कार्य के प्रति समर्पित अनुवादक दो भिन्न दुनिया में विचरण करते नज़र आते हैं। पहला वर्ग नीरस कार्यालयी अनुवाद में उलझा रहता है तो दूसरा सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद कर एक साथ धन व यश कमा लेता है। सरकारी अनुवादक अक्सर कार्यालय में अनुवाद करते समय लक्ष्य–भाषा की प्रकृति, संरचना, स्वरूप आदि पर उतना ध्यान नहीं देते, जितना देना चाहिए। परिणामस्वरूप अनुवाद दुरूह, बोझिल और हास्यास्पद हो जाता है तथा कभी–कभी अर्थ का अनर्थ भी। एक छोटे–से उदाहरण द्वारा इस बात को समझा जा सकता है। अंग्रेजी का एक छोटा सा वाक्य, 'He can do the job who thinks he can do' का अनुवाद मिलता है, 'वही कोई काम कर सकता है जो यह समझता है कि वह कर सकता है।' यहाँ द्रष्टव्य है कि 'वह कर सकता है' हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल नहीं है, इसका सही अनुवाद होगा–'वही कोई काम कर सकता है, जो यह समझता है कि मैं कर सकता हूँ।' इस तरह के कई उदाहरण देखे जा सकते हैं :

मूल	**गलत अनुवाद**	**सही अनुवाद**
Transfer (तबादले के सन्दर्भ में)	हस्तान्तरण	स्थानान्तरण
Precious stone	कीमती पत्थर	जवाहरात
Near future	निकट भविष्य में	जल्द ही
Oil seed	तेल के बीज	तिलहन
Still child	शान्त बच्चा	मृत बच्चा
Labour pain	श्रम पीड़ा	प्रसव पीड़ा
White elephant	सफेद हाथी	महँगा सौदा
House breaker	घर तोड़ने वाला	सेंध लगाने वाला
White ants	सफेद च्यूँटी	दीमक
Soft currency	नरम मुद्रा	सुलभ मुद्रा
Total war	सर्वांगीण युद्ध	सम्यक् युद्ध
Grey beared	भूरे भालू	अधेड़ आदमी
Warm welcome	गर्म–स्वागत	हार्दिक स्वागत
Cold blooded murder	शीत रुधिर हत्या	नृशंस हत्या

दरअसल ये सभी उदाहरण हमारी अज्ञानता को नहीं, बल्कि हमारी जल्दबाजी को दर्शाते हैं। अतः अनुवाद में हमें सदा स्रोत–भाषा के भाषिक, सांस्कृतिक सन्दर्भ को समझते हुए, विषय की तह में जाकर मूल अर्थ की

आत्मा को लक्ष्य–भाषा के भाषिक, सांस्कृतिक सन्दर्भानुसार अन्तरित करना चाहिए। अन्यथा 'I am afraid that' का अनुवाद 'मुझे डर है कि' हो जाने में देर नहीं लगती। इसके अलावा हमें अर्थ के बारीक भेद पर भी ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए अंग्रेजी के दो छोटे वाक्यों को लेते हैं : 'He compared me to moon.' और 'He compared me with moon.' दोनों वाक्यों के अनुवाद क्रमानुसार होंगे–'उसने चन्द्रमा से मेरी उपमा दी' और 'उसने चन्द्रमा से मेरी तुलना की।' अनुवाद में देश–काल, वातावरण का भी अलग महत्त्व है। हमारे लिए जो 'निकट पूर्व' है, अंग्रेजों के लिए 'सुदूर पूर्व' होगा । इसके अलावा दो समानार्थी शब्दों के लिए अनुवाद में भी दो सूक्ष्म अर्थ भेदक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर 'statesman' के लिए 'राजमर्मज्ञ' और 'politician' के लिए 'राजनीतिक', 'criticism' के लिए 'आलोचना' और 'review' के लिए 'समीक्षा', 'development' के लिए 'विकास' और 'evolution' के लिए 'विकासक्रम', 'honour' के लिए 'सम्मान' और 'prestige' के लिए 'प्रतिष्ठा', 'trade' के लिए 'व्यापार' और 'business' के लिए 'व्यवसाय', 'war' के लिए 'युद्ध' और 'battle' के लिए 'लड़ाई' शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार 'anguish' के लिए 'व्यथा' और 'sorrow' के लिए 'दुःख', 'regret' के लिए 'खेद' और 'agony' के लिए 'वेदना', 'gloom' के लिए 'विषाद' और 'pain' के लिए 'पीड़ा' व 'mourn' के लिए 'शोक' को ले सकते हैं।

इससे अनुवाद को एकरूपता मिलने के साथ–साथ कुछ हिन्दी शब्द भी स्थिर हो जाएँगे। मगर यह बात केवल अभिधा शब्दशक्ति पर आधारित कार्यालयीन या तकनीकी विषयों के अनुवाद पर लागू हो सकती है, लक्षणा या व्यंजना प्रधान सृजनात्मक विषयों (ख़ासकर कविता) पर नहीं। इसीलिए 'अनुवाद कर्म ' में विषय के सन्दर्भ व पाठक–वर्ग के साथ–साथ रचना के उद्देश्य को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अतः अनुवाद कर्म में निहित बहुकोणीय व बहुस्तरीय चिन्तन को किसी सिद्धान्त या प्रक्रिया के बंधन में बाँध कर इसको यंत्रवत प्रक्रिया नहीं बनाया जा सकता। इस कर्म में अनुवादक की बहुज्ञता ही नहीं, उसकी दूरदृष्टि की भी ज़रूरत होती है।

5. अनुवाद के क्षेत्र

आज की दुनिया में अनुवाद का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। शायद ही कोई क्षेत्र बचा हो जिसमें अनुवाद की उपादेयता को सिद्ध न किया जा सके। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि आधुनिक युग के जितने

भी क्षेत्र हैं सबके सब अनुवाद के भी क्षेत्र हैं, चाहे न्यायालय हो या कार्यालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो या शिक्षा, संचार हो या पत्रकारिता, साहित्य का हो या सांस्कृतिक सम्बन्ध। इन सभी क्षेत्रों में अनुवाद की महत्ता एवं उपादेयता को सहज ही देखा–परखा जा सकता है। चर्चा की शुरुआत न्यायालय क्षेत्र से करते हैं।

1. *न्यायालय* : अदालतों की भाषा प्रायः अंग्रेजी में होती है। इनमें मुकद्दमों के लिए आवश्यक कागजात अक्सर प्रादेशिक भाषा में होते हैं, किन्तु पैरवी अंग्रेजी में ही होती है। इस वातावरण में अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषा का बारी–बारी से परस्पर अनुवाद किया जाता है।

2. *सरकारी कार्यालय* : आज़ादी से पूर्व हमारे सरकारी कार्यालयों की भाषा अंग्रेजी थी। हिन्दी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिलने के साथ ही सरकारी कार्यालयों के अंग्रेजी दस्तावेजों का हिन्दी अनुवाद ज़रूरी हो गया। इसी के मद्देनज़र सरकारी कार्यालयों में राजभाषा प्रकोष्ठ की स्थापना कर अंग्रेजी दस्तावेज़ों का अनुवाद तेजी से हो रहा है।

3. *विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी* : देश–विदेश में हो रहे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के गहन अनुसंधान के क्षेत्र में तो सारा लेखन–कार्य उन्हीं की अपनी भाषा में किया जा रहा है। इस अनुसंधान को विश्व पटल पर रखने के लिए अनुवाद ही एक मात्र साधन है। इसके माध्यम से नई खोजों को आसानी से सबों तक पहुँचाया जा सकता है। इस दृष्टि से शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अनुवाद बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

4. *शिक्षा* : भारत जैसे बहुभाषा–भाषी देश के शिक्षा–क्षेत्र में अनुवाद की भूमिका को कौन नकार सकता है। कहना अतिशयोक्ति न होगी कि शिक्षा का क्षेत्र अनुवाद के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। देश की प्रगति के लिए परिचयात्मक साहित्य, ज्ञानात्मक साहित्य एवं वैज्ञानिक साहित्य का अनुवाद बहुत ज़रूरी है। आधुनिक युग में विज्ञान, समाज–विज्ञान, अर्थशास्त्र, भौतिकी, गणित आदि विषय की पाठ्य–सामग्री अधिकतर अंग्रेजी में लिखी जाती है। हिन्दी प्रदेशों के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए इन सब ज्ञानात्मक अंग्रेजी पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद तो हो ही रहा है, अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी इस ज्ञान–सम्पदा को रूपान्तरित किया जा रहा है।

5. *जनसंचार* : जनसंचार के क्षेत्र में अनुवाद का प्रयोग अनिवार्य होता है। इनमें मुख्य हैं समाचार–पत्र, रेडियो, दूरदर्शन। ये अत्यन्त लोकप्रिय हैं और हर भाषा–प्रदेश में इनका प्रचार बढ़ रहा है। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन में भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में समाचार प्रसारित होते हैं। इनमें प्रतिदिन 22 भाषाओं में खबरें प्रसारित होती हैं। इनकी तैयारी अनुवादकों द्वारा की जाती है।

6. *साहित्य* : साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद वरदान साबित हो चुका है। प्राचीन और आधुनिक साहित्य का परिचय दूरदराज के पाठक अनुवाद के माध्यम से पाते हैं। 'भारतीय साहित्य' की परिकल्पना अनुवाद के माध्यम से ही संभव हुई है। विश्व–साहित्य का परिचय भी हम अनुवाद के माध्यम से ही पाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद के कार्य ने साहित्यों के तुलनात्मक अध्ययन को सुगम बना दिया है। विश्व की समृद्ध भाषाओं के साहित्यों का अनुवाद आज हमारे लिए कितना ज़रूरी है कहने या समझाने की आवश्यकता नहीं।

7. *अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध* : अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध अनुवाद का सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों का संवाद मौखिक अनुवादक की सहायता से ही होता है। प्रायः सभी देशों में एक दूसरे देशों के राजदूत रहते हैं और उनके कार्यालय भी होते हैं। राजदूतों को कई भाषाएँ बोलने का अभ्यास कराया जाता है। फिर भी देशों के प्रमुख प्रतिनिधि अपने विचार अपनी ही भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुवाद की व्यवस्था होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मैत्री एवं शान्ति को बरकरार रखने की दृष्टि से अनुवाद की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।

8. *संस्कृति* : अनुवाद को 'सांस्कृतिक सेतु' कहा गया है। मानव–मानव को एक दूसरे के निकट लाने में, मानव जीवन को अधिक सुखी और सम्पन्न बनाने में अनुवाद की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। 'भाषाओं की अनेकता' मनुष्य को एक दूसरे से अलग ही नहीं करती, उसे कमजोर, ज्ञान की दृष्टि से निर्धन और संवेदन शून्य भी बनाती है। 'विश्वबंधुत्व की स्थापना' एवं 'राष्ट्रीय एकता' को बरकरार रखने की दृष्टि से अनुवाद एक तरह से सांस्कृतिक सेतु की तरह महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।

6. बोध प्रश्न

1. 'अनुवाद' शब्द की व्युत्पत्ति बताइए ?

.....

.....

.....

2. कैटफोर्ट द्वारा दी गई अनुवाद की परिभाषा में किन–किन बातों पर बल दिया गया है ?

.....

.....

.....

3. अनुवाद को परिभाषित कीजिए ?

.....

.....

.....

4. अनुवाद के गुण एवं दायित्व को रेखांकित कीजिए ?

.....

.....

.....

5. अनुवाद के विभिन्न क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए ?

.....

.....

.....

7. सारांश

आज 'अनुवाद' शब्द हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है। विभिन्न भाषायी मंच पर, साहित्यिक पत्रिकाओं में, अखबारों में तथा रोजमर्रा के जीवन में हमें अक्सर 'अनुवाद' शब्द का प्रयोग देखने–सुनने को मिलता है। साधारणतः एक भाषा–पाठ मे निहित अर्थ या सन्देश को दूसरी भाषा–पाठ में यथावत व्यक्त करना अर्थात् एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कहना 'अनुवाद' है। परन्तु यह कार्य उतना आसान नहीं, जितना कहने या सुनने में जान पड़ रहा है। चूँकि दो भिन्न भाषाओं की अलग–अलग प्रकृति, संरचना, संस्कृति, समाज, रीति–रिवाज़, रहन–सहन, वेश–भूषा होती है, अतः एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में यथावत् रूपान्तरित करते समय समतुल्य अभिव्यक्ति खोजने में कभी–कभी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अनुवादक के लिए मूल–पाठ का सन्दर्भ जानना, काल व परिस्थितियों से अवगत होना भी बहुत आवश्यक है अनुवाद की तुलना परकाय प्रवेश से की गई है। भाषा जीवन्त और निरन्तर परिवर्तनशील है। भाषा की इस प्रकृति के कारण अनुवाद का कार्य दुगुना कठिन हो जाता है।

अनुवाद के मर्मज्ञ विद्वानों द्वारा प्रतिपादित अनुवाद की परिभाषाएँ निश्चय ही अनुवाद के विभिन्न सकारात्मक पहलुओं व विशेषताओं पर प्रकाश डालती हैं। पर अनुवाद के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों ने ऐसे भी मत व्यक्त किए हैं जो अनुवाद विरोधी जान पड़ते हैं।

आज की दुनिया में अनुवाद का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। शायद ही कोई क्षेत्र बचा हो जिसमें अनुवाद की उपादेयता को सिद्ध न किया जा सके। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि आधुनिक युग के जितने भी क्षेत्र हैं सबके सब अनुवाद के भी क्षेत्र हैं, चाहे न्यायालय हो या कार्यालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो या शिक्षा, संचार हो या पत्रकारिता, साहित्य का हो या सांस्कृतिक सम्बन्ध। इन सभी क्षेत्रों में अनुवाद की महत्ता एवं उपादेयता को सहज ही देखा–परखा जा सकता है।

8. बोध प्रश्नों के उत्तर

1. देखें भाग 3.2
2. देखें भाग 3.3
3. देखें भाग 3.3
4. देखें भाग 4.2
5. देखें भाग 5

इकाई–2 : अनुवाद : प्रकृति और प्रकार

रूपरेखा

1. उद्देश्य
2. प्रस्तावना
3. अनुवाद की प्रकृति
    - 3.1 अनुवाद का वैज्ञानिक पक्ष
    - 3.2 अनुवाद का कला पक्ष
    - 3.3 अनुवाद का शिल्प पक्ष
    - 3.4 अनुवाद में कला–विज्ञान–शिल्प के तीनों तत्त्व
4. अनुवाद के प्रकार
    - 4.1 गद्य–पद्य पर आधारित प्रभेद
    - 4.2 साहित्य विधा पर आधारित प्रभेद
    - 4.3 विषय आधारित प्रभेद
    - 4.4 अनुवाद की अन्य प्रकृति पर आधारित प्रभेद
    - 4.5 अनुवाद के कुछ अन्य प्रभेद
5. बोध प्रश्न
6. सारांश
7. बोध प्रश्नों के उत्तर

1. उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- अनुवाद की प्रकृति से परिचित होंगे;
- अनुवाद के विविध प्रकार का परिचय पा सकेंगे;
- अनुवाद क्रिया कला के अन्तर्गत आता है या विज्ञान के या शिल्प के– समझ सकेंगे;
- सारानुवाद, शब्दानुवाद, भावानुवाद आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे;

2. प्रस्तावना

अनुवाद और अनुवाद कर्म के सामान्य परिचय पाने के उपरान्त प्रस्तुत अध्याय में अनुवाद की प्रकृति (अर्थात् अनुवाद–क्रिया कला के अन्तर्गत आता

है या विज्ञान के या शिल्प के) के साथ–साथ अनुवाद के विविध प्रकार एवं प्रभेद की भी चर्चा की जा रही है।

3. अनुवाद की प्रकृति

'अनुवाद' एक कर्म के रूप में बेहद जटिल क्रिया है और एक विधा के रूप में बहुत संश्लिष्ट। यही कारण है कोई इसे 'अनुवाद कला' कहता है, कोई 'अनुवाद शिल्प', तो कोई 'अनुवाद विज्ञान'। अनुवाद कर्म के मर्म को समझने के लिए अनुवाद की प्रकृति और अनुवाद के प्रभेद को जानना–समझना बहुत ज़रूरी है। चर्चा की शुरुआत अनुवाद की प्रकृति से करते हैं।

अनुवाद की प्रकृति

अनुवाद सिद्धान्त एवं व्यवहार पर उपलब्ध पुस्तकों के शीर्षकों को देखने से मन में यह प्रश्न स्वतः उठता है कि आख़िर अनुवाद की प्रकृति क्या है ? विद्वानों का एक वर्ग इसे 'कला' मानता आया है तो दूसरा वर्ग इसके विपरीत इसे 'विज्ञान' की श्रेणी में रखना पसन्द करता है। एक वर्ग ऐसा भी है जो अनुवाद को कला या विज्ञान की श्रेणी से अलग 'शिल्प' की कोटि में रखता है। ऐसे में अनुवाद की प्रकृति पर विचार करना ज़रूरी हो जाता है। पहले हम इसके विज्ञान पक्ष पर विचार करते हैं।

3.1 अनुवाद का वैज्ञानिक पक्ष

विज्ञान का साधारण अर्थ होता है 'विशिष्ट ज्ञान'। मगर आज 'विज्ञान' शब्द केवल 'विशिष्ट ज्ञान' तक सीमित न रह कर समूचे वैज्ञानिक व तकनीक चिन्तन, अनुशासनों, यथा– भौतिकी, रसायन, गणित, जीवविज्ञान, कम्प्यूटर आदि को अपने में समाहित कर चुका है जिसमें पूर्ण सार्वभौमिक सत्यता(universal truth) विद्यमान होती है। इसे सार्वभौमिक सत्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सामान्यतः स्थान, समय व परिवेश से प्रभावित नहीं होती। इसमें हमेशा 2+2=4 या H_2+0=$H_2$0 होता है। परन्तु अनुवाद में ऐसी सार्वभौमिक सत्यता नहीं होती। हर अनुवादक से उसे एक नया रूप मिलता है। फिर अनुवाद में अनिवार्यतः अनुवादक के युग, समाज, भौगोलिक परिवेश आदि का प्रभाव भी मौजूद रहता है। अनुवाद को उस अर्थ में विज्ञान नहीं कहा जा सकता जिस अर्थ में भौतिकी, रसायन, गणित, जीवविज्ञान आदि को विज्ञान कहा जाता है। अनुवाद को विज्ञान मानने के पीछे कारण यह है कि

अनुवाद की प्रकिया में विज्ञान की भाँति ही विश्लेषण, तुलना, निरीक्षण, अनुशीलन आदि सोपान होते हैं।

डार्टेस्ट ने अनुवाद को अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान (Applied Linguistics) की एक शाखा के रूप में परिभाषित करते हुए लिखा है कि अनुवाद, अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विशेषतः एक प्रतिमानित प्रतीक समूह से दूसरे प्रतिमानित प्रतीक समूह में अर्थ को अन्तरित करने की समस्या या तत्सम्बन्धी तथ्यों पर विचार–विमर्श किया जाता है :

'Translation is that branch of applied science of language which is specifically concerned with the problem -or the fact- of the transference of meaning from one set of patterned symbols into another set of patterned symbols.' (–Loche & Booth, 1995, pg. 124)

अनुवाद को अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान के अन्तर्गत शामिल करने का कारण यह है कि अनुवाद कर्म में स्रोत–भाषा से लक्ष्य–भाषा तक पहुँचने में हम जिन प्रक्रियाओं से होकर गुजरते हैं उसका वैज्ञानिक विश्लेषण (scientific analysis) किया जा सकता है। भाषा विज्ञानियों का मानना है कि अनुवाद क्रिया में पहले *स्रोत–भाषा का विकोडीकरण* (decoding of Source Language) होता है जिसका बाद में *लक्ष्य–भाषा में पुनःकोडीकरण* (encoding of Target Language) किया जाता है। अतः अनुवाद कर्म में विज्ञान का कुछ गुण अवश्य है परन्तु इतने भर से इसको पूर्णतः वैज्ञानिक विधा नहीं माना जा सकता।

3.2 अनुवाद का कला पक्ष

कला एक प्रकार की सर्जना(creation) है। शायद यही कारण है कि सृजनात्मक साहित्य को कला की श्रेणी में रखा जाता है। जब सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद किया जाता है तो वह मात्र शाब्दिक प्रतिस्थापन नहीं होता बल्कि अनुवादक को मूल लेखक के उस महान् जीवन क्षण को फिर से जीना होता है जिससे अभिभूत होकर कवि या रचनाकार ने उस रचना को अंजाम दिया। इसलिए आग्निस गेर्गली ने कहा है : Translation must find and reproduce the impulse of the original work. हमेशा सहज समतुल्यता की खोज में अनुवादक को अक्सर पुनःसृजन(Recreation) करना पड़ता है, जिसमें अनुवादक के सौन्दर्यबोध एवं सृजनशील प्रतिभा की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। शैली के शब्दों में कहें तो सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद एक प्रकार से कलात्मक प्रक्रिया है। साहित्यिक अनुवाद का पुनर्सृजित रूप निम्नलिखित दो अनुवादों से स्पष्ट हो जाएगा :

उदाहरण–1

मूल :

लूटि सकै तौ लूटियौ, राम नाम है लूटि ।
पीछैं ही पछिताहुगे, यह तन जैहै छूटि ।।

–कबीर

अनुवाद :

Rejoice O Kabir
In this great feast
of Love !
Once death
knocks at your door,
This golden moment
will be gone
For ever !

–Translated by Sahdev Kumar

उदाहरण–2

मूल :

One Moment in Annihilation's Waste,
One Moment, of the Well of Life to taste–
The Stars are setting and the Caravan,
Starts for the dawn of Nothing– oh, make haste!

–Rubaiyat of Omar Khayyam (Fitzgerald)

अनुवाद :

अरे, यह विस्मृति का मरु देश
एक विस्तृत है, जिसके बीच
खिंची लघु जीवन–जल की रेख,
मुसाफ़िर ले होठों को सींच ।
एक क्षण, जल्दी कर, ले देख
बुझे नभ–दीप, किधर पर भोर
कारवाँ मानव का कर कूच
बढ़ चला शून्य उषा की ओर !

–ख़ैयाम की मधुशाला
हिन्दी अनुवाद : हरिवंशराय बच्चन

उपर्युक्त दोनों अनुवाद मूल के आधार पर नई रचनाएँ बन गई हैं। ये अनुवाद नहीं बल्कि मूल का 'अनुसृजन' है। इसमें मूल लेखक की भाँति अनुवादक की सृजनशील प्रतिभा की स्पष्ट झलक देखने को मिल रही है। राजशेखर दास ने ठीक ही कहा है : 'कविता का अनुवाद कितना ही सुन्दर क्यों न हो वह केवल मूल विचारों पर आधृत एक नई कविता ही हो सकती है।' यही कारण है कि साहित्यिक अनुवाद को एक कलात्मक प्रक्रिया माना गया है।

3.3 अनुवाद का शिल्प पक्ष

कई भाषाविज्ञानियों का मानना है कि अनुवाद–कार्य एक शिल्प–कर्म है। उनका तर्क है कि स्रोत–भाषा में व्यक्त सन्देश को लक्ष्य–भाषा में प्रस्तुत करने में अनुवादक के कौशल, उसके भाषा–चातुर्य की अहम् भूमिका होती है। यह शिल्प शब्द अंग्रेजी के skill व craft के निकट पड़ता है। न्यूमार्क ने अनुवाद कर्म को 'शिल्प' स्वीकारा है : 'अनुवाद एक शिल्प है, जिसमें एक भाषा में लिखित सन्देश को दूसरी भाषा में उसी सन्देश को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाता है।' फिर अनुवाद में जितना अधिक अभ्यास किया जाएगा या प्रशिक्षण लिया जाएगा, अनुवाद उतना ही सुन्दर होता जाएगा। इसके अलावा कला और शिल्प का अभिन्न सम्बन्ध भी रहा है। जहाँ कला होगी वहाँ निश्चय ही शिल्प होगा और इसके विपरीत जहाँ शिल्प होगा वहाँ अनिवार्यतः कला होगी। अतः अनुवाद में अंशतः शिल्प का तत्त्व भी समाहित है।

3.4 अनुवाद में कला–विज्ञान–शिल्प के तीनों तत्त्व

नाइडा द्वारा प्रस्तावित अनुवाद प्रक्रिया में निम्नलिखित तीन सोपानों का उल्लेख है :

1– विश्लेषण
2– अन्तरण
3– पुनर्गठन

दरअसल ये तीनों चरण क्रमानुसार विज्ञान, शिल्प और कला के ही तीनों सोपान हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुवाद–प्रक्रिया का पहला चरण है मूल–पाठ का 'वैज्ञानिक विश्लेषण', दूसरा सोपान है मूल–पाठ के सन्देश व शिल्प का 'अन्तरण कौशल' तथा तीसरा सोपान है लक्ष्य–भाषा में उसका 'कलात्मक पुनर्गठन'। मगर अनुवाद में ये तीनों (कला, विज्ञान और कौशल) का अनुपात सदैव समान नहीं रहता। इन तीनों का अनुपात अनुद्य सामग्री की प्रकृति पर निर्भर रहता है। सृजनात्मक सामग्री में कला तत्त्व का

प्राधान्य होने के कारण इसके अनुवादक में भी सृजनात्मक प्रतिभा का होना अपरिहार्य माना गया है। यही कारण है कि साहित्यिक अनुवादक अनुवाद को कलात्मक क्रिया मानते आए हैं। इसके विपरीत तकनीकी या वैज्ञानिक सामग्री के अनुवादक को अनुद्य विषय का सम्यक ज्ञान होना ज़रूरी है। अनुवादक का विषय ज्ञान जितना अधिक होगा अनुवाद उतना सटीक होगा। अन्यथा 'woody portion' का अनुवाद 'काष्ठमय अंश' हो जाने में देर नहीं लगती। इसके अलावा तकनीकी–वैज्ञानिक सामग्री के अनुवाद में हमें कुछ नियमों का अनुसरण भी करना पड़ता है। इसीलिए तकनीकी विषय के अनुवाद में अनुवादक का कौशल बखूबी काम करता है। इस सन्दर्भ में नाइडा का कथन है : 'Translation is far more than a Science, it is also a Skill and in the ultimate analysis fully satisfactory translation is always an Art.' अर्थात् अनुवाद विज्ञान से बढ़कर है, वह कौशल भी है और अन्तिम विश्लेषण में पूर्णतः सन्तोषजनक अनुवाद हमेशा एक कला रहा है। परन्तु डॉ. नगेन्द्र अनुवाद को एक स्वतंत्र विधा मानते हैं। उनका कहना है : 'अनुवाद पारिभाषिक अर्थ में न विज्ञान है और न कला। इसके अतिरिक्त उसे निश्चित रूप से शिल्प भी कहना तर्कसंगत नहीं होगा। वास्तविक स्थिति यह है कि आधार विषय के अनुसार अनुवाद में इन तीनों के ही तत्त्वों का यथानुपात समावेश रहता है। साहित्यिक अनुवाद विशेष रूप से काव्यानुवाद का अन्तर्भाव जहाँ कला की परिधि में ही हो जाता है, वहाँ वैज्ञानिक तथा शास्त्रीय अनुवाद में विज्ञान के आधार तत्त्वों का प्राधान्य रहता है जबकि शिल्प का प्रयोग प्रायः सर्वत्र ही मिलता है। इस प्रकार अनुवाद एक स्वतंत्र विधा है।' निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अनुवाद में कला, विज्ञान और शिल्प तीनों विधाओं के तत्त्व अंशतः विद्यमान हैं। दूसरे शब्दों में, अनुवाद के विश्लेषण में वैज्ञानिकता है, उसकी सिद्धि में कलात्मकता जिसके लिए आवश्यकता होती है शिल्पगत कौशल की।

4. अनुवाद के प्रकार

अनुवाद की बहुपक्षीयता के अनुरूप अनुवाद के वर्गीकरण के भी अनेक आधार हैं। यही कारण है कि अनुवाद के भेदों पर विद्वानों ने अपने अलग–अलग विचार व्यक्त किए हैं। पाश्चात्य विद्वान जे.सी.कैटफोर्ड ने अपनी पुस्तक 'A Linguistics Theory of Translation' में निम्नलिखित तीन मुख्य आधारों पर अनुवाद के प्रकार बतलाये हैं :

क– पाठ विस्तार का आधार : 1. पूर्ण अनुवाद,

2. आंशिक अनुवाद

ख– भाषा स्तर का आधार : 1. समस्त अनुवाद
2. सीमित अनुवाद

ग– श्रेणी का आधार : 1. मुक्त अनुवाद
2. शाब्दिक अनुवाद और
3. मध्यवर्गी अनुवाद

एक अन्य पाश्चात्य विद्वान कांसाग्रादे ने अनुवाद के चार भेद बतलाए हैं :

क– भाषापरक अनुवाद

ख– तथ्यपरक अनुवाद

ग– संस्कृतिपरक अनुवाद

घ– सौन्दर्यपरक अनुवाद

भोलानाथ तिवारी ने अनुवाद के प्रकारों के मुख्यतः चार आधार माने हैं : क– गद्यत्व एवं पद्यत्व, ख– साहित्यिक, ग– विषयगत घ– अनुवाद की प्रकृति।

डॉ. एन. ई. विश्वनाथ अय्यर ने अनुवाद के भेद–उपभेदों के तीन मुख्य आधार स्वीकारे हैं : क– माध्यम, ख– प्रक्रिया और ग– पाठ।

डॉ. सुरेश कुमार ने अनुवाद प्रकार को तीन शीर्षकों में विभाजित किया है : 1– भाषा केन्द्रीयता, 2– भाषा बाह्य और 3– मिश्रित।

डॉ. रीतारानी पालीवाल ने सीमा, स्तर एवं श्रेणी के आधार पर अनुवाद के भेद किए हैं।

विद्वानों द्वारा अनुवाद–प्रकार निर्धारण हेतु दिये गये आधार और अनुवाद के प्रकारों के वर्गीकरण की भिन्नता से स्पष्ट हो जाता है कि अनुवाद की बहुकोणीय उपादेयता के कारण इसके अनेक भेद और उपभेद किये जाते रहे हैं। फिर भी भोलानाथ तिवारी द्वारा प्रस्तावित अनुवाद के प्रकारों को अधिक तर्कसंगत मानते हुए यहाँ चर्चा को आगे बढ़ाया जा रहा है।

4.1 गद्य–पद्य पर आधारित प्रभेद

1– *गद्यानुवाद* : गद्यानुवाद सामान्यतः गद्य में किए जानेवाले अनुवाद को कहते हैं। किसी भी गद्य रचना का गद्य में ही किया जाने वाला अनुवाद गद्यानुवाद कहलाता है। किन्तु कुछ विशेष कृतियों का पद्य से गद्य में भी अनुवाद किया जाता है। जैसे 'मेघदूतम्' का हिन्दी कवि नागार्जुन द्वारा किया गद्यानुवाद।

2– *पद्यानुवाद* : पद्य का पद्य में ही किया गया अनुवाद पद्यानुवाद की श्रेणी में आता है। दुनिया भर में विभिन्न भाषाओं में लिखे गए काव्यों एवं महाकाव्यों के अनुवादों की संख्या अत्यन्त विशाल है। इलियट के 'वेस्टलैण्ड', कालिदास

के 'मेघदूतम्' एवं 'कुमारसंभवम्' तथा टैगोर की 'गीतांजलि' का विभिन्न भाषाओं में पद्यानुवाद किया गया है। साधारणतः पद्यानुवाद करते समय स्रोत–भाषा में व्यवहृत छन्दों का ही लक्ष्य–भाषा में व्यवहार किया जाता है।

3– *छन्दमुक्तानुवाद* : इस प्रकार के अनुवाद में अनुवादक को स्रोत–भाषा में व्यवहार किए गए छन्दों को अपनाने की बाध्यता नहीं होती। अनुवादक विषय के अनुरूप लक्ष्य–भाषा का कोई भी छन्द चुन सकता है। साहित्य में ऐसे अनुवाद विपुल संख्या में उपलब्ध हैं।

4.2 साहित्य विधा पर आधारित प्रभेद

1– *काव्यानुवाद* : स्रोत–भाषा में लिखे गए काव्य का लक्ष्य–भाषा में रूपान्तरण काव्यानुवाद कहलाता है। यह आवश्यकतानुसार गद्य, पद्य एवं मुक्त छन्द में किया जा सकता है। होमर के महाकाव्य 'इलियड' एवं कालिदास के 'मेघदूतम्' एवं 'ऋतुसंहार' इसके उदाहरण हैं।

2– *नाट्यानुवाद* : किसी भी नाट्य कृति का नाटक के रूप में ही अनुवाद करना नाट्यानुवाद कहलाता है। नाटक रंगमंचीय आवश्यकताओं एवं दर्शकों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। अतः इसके अनुवाद के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। संस्कृत के नाटकों के हिन्दी अनुवाद तथा शेक्सपियर के नाटकों के अन्य भाषाओं में किए गए अनुवाद इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

3– *कथा अनुवाद* : कथा अनुवाद के अन्तर्गत कहानियों एवं उपन्यासों का कहानियों एवं उपन्यासों के रूप में ही अनुवाद किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध उपन्यासों एवं कहानियों के अनुवाद काफ़ी प्रचलित एवं लोकप्रिय हैं। मोपासाँ एवं प्रेमचन्द की कहानियों का दुनिया की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ है। रूसी उपन्यास 'माँ', अंग्रेजी उपन्यास 'लैडी चैटर्ली का प्रेमी' तथा हिन्दी के 'गोदान', 'त्यागपत्र' तथा 'नदी के द्वीप' के विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुए हैं।

4– *अन्य साहित्यिक विधाओं के अनुवाद* : अन्य साहित्यिक विधाओं के अन्तर्गत रेखाचित्र, निबन्ध, संस्मरण, रिपोर्ताज, डायरी एवं आत्मकथा आदि के अनुवाद आते हैं। पं. जवाहर लाल नेहरू की कृति 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' तथा महात्मा गांधी एवं हरिवंशराय बच्चन की आत्मकथाओं के विभिन्न भाषाओं में किए गए अनुवाद इसी श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।

4.3 विषय आधारित प्रभेद

विभिन्न विषयों पर आधारित अनुवादों की सूची लम्बी है। साधरणतः विषयों पर आधारित अनुवादों के निम्नलिखित प्रभेद किए जा सकते हैं :

1– *ललित साहित्यानुवाद* : ललित साहित्यानुवाद के अन्तर्गत साहित्यिक विधाओं को रखा जाता है। कविता, ललित निबन्ध, कहानी, डायरी, आत्मकथा, उपन्यास आदि। इसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है।

2– *धार्मिक–पौराणिक साहित्यानुवाद* : जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है धार्मिक–पौराणिक साहित्यानुवाद में विभिन्न धर्मों के मानक धर्मग्रंथों, गीता, भागवत, कुरआन, बाइबिल आदि का अनुवाद किया जाता है। वेद, उपनिषद आदि भी इसके साथ शामिल हैं।

3– *वैज्ञानिक एवं तकनीकी सामग्री के अनुवाद* : वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद में विषय मुख्य है और शैली गौण। साहित्यिक अनुवाद में प्रायः 'क्यों' से ज़्यादा 'कैसे' का महत्त्व होता है जबकि वैज्ञानिक अनुवाद में 'कैसे' से ज़्यादा 'क्या' का महत्त्व होता है। इसमें भावानुवाद त्याज्य है और प्रायः शब्दानुवाद अपेक्षित है। इसमें पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग अपेक्षित है, ध्वन्यात्मक या व्यंग्यात्मक शब्दावली का नहीं। कुल मिलाकर इस प्रकार के अनुवाद में सूचना, संकल्पना तथा तथ्य महत्त्वपूर्ण होते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद में अनुवादक विषय का सम्यक् जानकार हो और साथ ही प्रशिक्षित भी। तभी वह अनुवाद के साथ न्याय कर पाएगा।

4– *विधि का अनुवाद* : इसमें एक भाषा की विधि सम्बन्धी अर्थात् कानून की सामग्री को दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है। कानून की किताबें, अदालत के मुकद्दमे, तत्सम्बन्धी विभिन्न आवेदन–पत्र, कानूनी संहिताएँ, नियम–अधिनियम, संशोधित अधिनियम आदि कानूनी अनुवाद के प्रमुख हिस्से हैं। इस प्रकार के अनुवाद में प्रत्येक शब्द का अपना विशेष महत्त्व होता है। इसमें भावार्थ नहीं शब्दार्थ महत्त्वपूर्ण होता है। इसके प्रत्येक शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है। एक शब्द का एक ही अर्थ अपेक्षित होता है। इस प्रकार के अनुवाद की भाषा पूरी तरह तकनीकी प्रकृति की होती है।

5– *प्रशासनिक अनुवाद* : प्रशासनिक अनुवाद से तात्पर्य है वह अनुवाद जिसमें एक भाषा की प्रशासन सम्बन्धी सामग्री को दूसरी भाषा में परिवर्तित किया जाता है। प्रशासनिक अनुवाद का सम्बन्ध सरकारी कार्यालयों से होने के कारण इसे कार्यालयी अनुवाद भी कहा जाता है। इस अनुवाद के अन्तर्गत प्रशासन के सभी कागजात, सरकारी पत्र, परिपत्र, सूचनाएँ–अधिसूचनाएँ, नियम–अधिनियम, प्रेस विज्ञप्तियाँ आदि आते हैं। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, विभिन्न मंत्रालय आदि में द्विभाषी तथा बहुभाषी स्थिति के कारण प्रशासनिक अनुवाद के बिना काम नहीं चलता। यहाँ भी पारिभाषिक शब्दावली का सहारा लिया जाता है। प्रशासनिक अनुवाद में 'कथ्य' अर्थात् 'कही गई बात' महत्त्वपूर्ण होती है।

6– *मानविकी एवं समाजशास्त्र का अनुवाद :* मानविकी एवं समाजशास्त्र से सम्बन्धित सामग्रियों के अनुवाद के लिए अनुवादक का विषय ज्ञान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होता है। इस तरह का अनुवाद अनुसंधान, सर्वेक्षण, परियोजना एवं शैक्षिक आवश्यकता की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होता है। इस तरह के अनुवाद में सरलता एवं स्पष्टता अपेक्षित होती है।

7– *संचार माध्यमों की सामग्री का अनुवाद* : वर्तमान युग के संचार माध्यमों ने मानव–विकास में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। संचार माध्यमों के जरिए ही वह देश–विदेश और समग्र दुनिया की जानकारी हासिल करता है। किन्तु विविध देशों में विविध भाषाएँ होने के कारण संचार माध्यम की सामग्री का अनुवाद महत्त्वपूर्ण बना हुआ है। इस अनुवाद के अन्तर्गत मुख्यतः दैनिक समाचार, सभी प्रकार की पत्र–पत्रिकाओं, दूरदर्शन तथा आकाशवाणी आदि क्षेत्रों की सामग्री के अनुवाद आते हैं। इन सम्पर्क माध्यमों में दुनिया के सारे ज्ञान–विज्ञान की सामग्री समाहित होती है। इसमें राजनीति, व्यापार, खेल, विज्ञान, साहित्य आदि की अर्थात् जीवन से सम्बन्धित सभी विषय–क्षेत्रों की सामग्री होती है।

उपर्युक्त प्रकारों के अलावा विषयाधारित अनुवाद में संगीत, ज्योतिष, पर्यावरण, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अभिलेखों, गजेटियरों आदि की सामग्री, वाणिज्यानुवाद, काव्यशास्त्र, भाषाविज्ञान सम्बन्धी अनेकानेक विषयों को शामिल किया जा सकता है।

4.4 अनुवाद की अन्य प्रकृति पर आधारित प्रभेद

इस प्रकार के अनुवाद के दो प्रमुख उपभेद माने गए हैं :

1– *मूलनिष्ठ* : मूलनिष्ठ अनुवाद कथ्य और शैली दोनों की दृष्टि से मूल का अनुगमन करता है। इस प्रकार के अनुवाद में अनुवादक का प्रयास रहता है कि अनूदित विचार या कृति स्रोत–भाषा के विचारों एवं अभिव्यक्ति के निकट रहे।

1– *मूलमुक्त* : मूलमुक्त अनुवाद को भोलानाथ तिवारी ने मूलाधारित अथवा मूलाधृत अनुवाद भी कहा है। वैसे तो मूलमुक्त का अर्थ ही होता है मूल से हटकर, किन्तु किसी भी अनुवाद में विचारों के स्तर पर परिवर्तन की गुँजाइश नहीं होती। अतः यहाँ मूल से भिन्न का अर्थ है शैलीगत भिन्नता तथा कहावतों एवं उपमानों का देशीकरण करने की अनुवादक की स्वतंत्रता।

4.5 अनुवाद के कुछ अन्य प्रभेद

उपर्युक्त भेदों के अतिरिक्त अनुवाद के अन्य कुछ प्रभेद भी हैं जिसकी चर्चा नीचे की जा रही है :

1– *शब्दानुवाद* : स्रोत–भाषा के शब्द एवं शब्द क्रम को उसी प्रकार लक्ष्य–भाषा में रूपान्तरित करना शब्दानुवाद कहलाता है। यहाँ अनुवादक का लक्ष्य मूल–भाषा के विचारों को रूपान्तरित करने से अधिक शब्दों का यथावत् अनुवाद करने से होता है। शब्द एवं शब्द क्रम की प्रकृति हर भाषा में भिन्न होती है। अतः यांत्रिक ढंग से उनका यथावत अनुवाद करते जाना काफ़ी कृत्रिम, दुर्बोध्य एवं निष्प्राण हो सकता है। शब्दानुवाद उच्च कोटि के अनुवाद की श्रेणी में नहीं आता।

2– *भावानुवाद* : साहित्यिक कृतियों के सन्दर्भ में भावानुवाद का विशेष महत्त्व होता है। इस प्रकार के अनुवाद में मूल–भाषा के भावों, विचारों एवं सन्देशों को लक्ष्य–भाषा में रूपान्तरित किया जाता है। इस सन्दर्भ में भोलानाथ तिवारी का कहना है : 'मूल सामग्री यदि सूक्ष्म भावों वाली है तो उसका भावानुवाद करते हैं।' भावानुवाद में सम्प्रेषणीयता सबसे महत्त्वपूर्ण होती है। इसमें अनुवादक का लक्ष्य स्रोत–भाषा में अभिव्यक्त भावों, विचारों एवं अर्थों का लक्ष्य–भाषा में अन्तरण करना होता है। संस्कृत साहित्य में लिखे गए कुछ ललित निबन्धों के हिन्दी अनुवाद बहुत ही सफल सिद्ध हुए हैं।

3– *छायानुवाद* : अनुवाद सिद्धान्त में छाया शब्द का प्रयोग अति प्राचीन है। इसमें मूल–पाठ की अर्थ छाया को ग्रहण कर अनुवाद किया जाता है। छायानुवाद में शब्दों, भावों तथा संकल्पनाओं के संकलित प्रभाव को लक्ष्य–भाषा में रूपान्तरित किया जाता है। संस्कृत में लिखे गए भास के नाटक 'स्वप्नवासवदत्तम्' एवं कालिदास के नाटक 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' के हिन्दी अनुवाद इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

4– *सारानुवाद* : सारानुवाद का अर्थ होता है किसी भी विस्तृत विचार अथवा सामग्री का संक्षेप में अनुवाद प्रस्तुत करना। लम्बी रचनाओं, राजनैतिक भाषणों, प्रतिवेदनों आदि व्यावहारिक कार्य के अनुवाद के लिए सारानुवाद काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है। इस प्रकार के अनुवाद में मूल–भाषा के कथ्य को सुरक्षित रखते हुए लक्ष्य–भाषा में उसका रूपान्तरण कर दिया जाता है। सारानुवाद का प्रयोग मुख्यतः दुभाषिये, समाचार पत्रों एवं दूरदर्शन के संवाददाता तथा संसद एवं विधान मण्डलों के रिकार्डकर्त्ता करते हैं।

5– *व्याख्यानुवाद* : व्याख्यानुवाद को भाष्यानुवाद भी कहते हैं। इस प्रकार के अनुवाद में अनुवादक मूल सामग्री के साथ–साथ उसकी व्याख्या भी प्रस्तुत करता है। व्याख्यानुवाद में अनुवादक का व्यक्तित्व महत्त्वपूर्ण होता है। और कई जगहों में तो अनुवादक का व्यक्तित्व एवं विचार मूल रचना पर हावी हो जाता है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया 'गीता' का अनुवाद इसका उत्कृष्ट उदाहरण है।

6– *आशु अनुवाद* : आशु अनुवाद को वार्तानुवाद भी कहते हैं। दो भिन्न भाषाओं, भावों एवं विचारों का तात्कालिक अनुवाद आशु अनुवाद कहलाता है। आज जैसे विभिन्न देश एक दूसरे के परस्पर समीप आ रहे हैं इस प्रकार के तात्कालिक अनुवाद का महत्त्व बढ़ रहा है। विभिन्न भाषा–भाषी प्रदेशों एवं देशों के बीच राजनैतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व के क्षेत्रों में आशु अनुवाद का सहारा लिया जाता है।

7– *आदर्श अनुवाद* : आदर्श अनुवाद को सटीक अनुवाद भी कहा जाता है। इसमें अनुवादक आचार्य की भूमिका निभाता है तथा स्रोत–भाषा की मूल सामग्री का अनुवाद अर्थ एवं अभिव्यक्ति सहित लक्ष्य–भाषा में निकटतम एवं स्वाभाविक समानार्थों द्वारा करता है। आदर्श अनुवाद में अनुवादक तटस्थ रहता है तथा उसके भावों एवं विचारों की छाया अनूदित सामग्री पर नहीं पड़ती। रामचरितमानस, भगवद्गीता, कुरआन आदि धार्मिक ग्रन्थों के सटीक अनुवाद इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

8– *रूपान्तरण* : आधुनिक युग में रूपान्तरण का महत्त्व बढ़ रहा है। रूपान्तरण में स्रोत–भाषा की किसी रचना का अन्य विधा(साहित्य रूप) में रूपान्तरण कर दिया जाता है। संचार माध्यमों के बढ़ते हुए प्रभाव एवं उसकी लोकप्रियता को देखते हुए कविता, कहानी आदि साहित्य रूपों का नाट्यानुवाद विशेष रूप से प्रचलित हो रहा है। ऐसे अनुवादों में अनुवादक की अपनी रुचि एवं कृति की लोकप्रियता महत्त्वपूर्ण होती है। जैनेन्द्र, कमलेश्वर, अमृता प्रीतम, भीष्म साहनी आदि की कहानियों के रेडियो रूपान्तर प्रस्तुत किए जा चुके हैं। 'कामायनी' महाकाव्य का नाट्य रूपान्तर काफ़ी चर्चित हुआ है।

5. बोध प्रश्न

1. 'अनुवाद की प्रकृति' में प्रकृति के आशय को स्पष्ट कीजिए ?

.....

.....

.....

2. कैटफोर्ड द्वारा प्रस्तावित अनुवाद के प्रकार की चर्चा कीजिए ?

.....

.....

.....

3. 'अनुवाद एक कला है'– इस कथन को स्पष्ट कीजिए ?

.....

.....

.....

4. भोलानाथ तिवारी द्वारा प्रस्तावित अनुवाद के प्रकार की चर्चा कीजिए ?

.....

.....

.....

5. अनुवाद के वैज्ञानिक पक्ष पर प्रकाश डालिए ?

.....

.....

.....

6. कांसाग्रादे द्वारा प्रस्तावित अनुवाद के प्रकार की चर्चा कीजिए ?

.....

.....

.....

6. सारांश

अनुवाद पारिभाषिक अर्थ में न विज्ञान है और न कला। इसके अतिरिक्त उसे निश्चित रूप से शिल्प भी कहना तर्कसंगत नहीं होगा। वास्तविक स्थिति यह है कि आधार विषय के अनुसार अनुवाद में इन तीनों के ही तत्त्वों का यथानुपात समावेश रहता है। साहित्यिक अनुवाद विशेष रूप से काव्यानुवाद का अन्तर्भाव जहाँ कला की परिधि में ही हो जाता है, वहाँ वैज्ञानिक तथा शास्त्रीय अनुवाद में विज्ञान के आधार तत्त्वों का प्राधान्य रहता है जबकि शिल्प का प्रयोग प्रायः सर्वत्र ही मिलता है। इस प्रकार अनुवाद में कला, विज्ञान और शिल्प तीनों विधाओं के तत्त्व अंशतः विद्यमान हैं। दूसरे शब्दों में, अनुवाद के विश्लेषण में वैज्ञानिकता है, उसकी सिद्धि में कलात्मकता जिसके लिए आवश्यकता होती है शिल्पगत कौशल की।

अनुवाद की बहुपक्षीयता के अनुरूप अनुवाद के वर्गीकरण के भी अनेक आधार हैं। यही कारण है कि अनुवाद के भेदों पर विद्वानों ने अपने अलग–अलग विचार व्यक्त किए हैं और अनुवाद की बहुकोणीय उपादेयता के

कारण इसके अनेक भेद और उपभेद किये जाते रहे हैं। फिर भी भोलानाथ तिवारी द्वारा प्रस्तावित अनुवाद के 4 प्रकारों (1–गद्यत्व एवं पद्यत्व, 2–साहित्यिक, 3–विषयगत और 4–अनुवाद की प्रकृति) को अधिक तर्कसंगत विभाजन माना जा रहा है क्योंकि इसमें अनुवाद के लगभग सारे प्रभेद समाविष्ट हो जाते हैं।

7. बोध प्रश्नों के उत्तर

1. देखें भाग 3
2. देखें भाग 4
3. देखें भाग 3.2
4. देखें भाग 4
5. देखें भाग 3.1
6. देखें भाग 4

इकाई–3 : अनुवाद : स्वरूप, प्रक्रिया एवं सीमाएँ

रूपरेखा

1. उद्देश्य
2. प्रस्तावना
3. अनुवाद के स्वरूप
    - 3.1 अनुवाद का सीमित स्वरूप
    - 3.2 अनुवाद का व्यापक स्वरूप
4. अनुवाद–प्रक्रिया
    - 4.1 नोअम चॉमस्की (Noam Chomsky) की गहन संरचना एवं तल संरचना
    - 4.2 नाइडा (Nida) द्वारा प्रतिस्थापित अनुवाद–प्रक्रिया
    - 4.3 न्यूमार्क (New mark) द्वारा प्रतिस्थापित अनुवाद–प्रक्रिया
    - 4.4 बाथगेट (Bathgate) का चिन्तन
    - 4.5 अनुवाद–प्रक्रिया में नाइडा, न्यूमार्क और बाथगेट
5. अनुवाद की सीमाएँ
    - 5.1. अनुवाद की भाषापरक सीमाएँ
    - 5.2. अनुवाद की सामाजिक–सांस्कृतिक सीमाएँ
    - 5.3. अनुवाद की पाठ–प्रकृतिपरक सीमाएँ
6. बोध प्रश्न
7. सारांश
8. बोध प्रश्नों के उत्तर

1. उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- अनुवाद के सीमित एवं व्यापक स्वरूप को समझ सकेंगे;
- अनुवाद की प्रक्रिया से परिचित होंगे;
- विद्वानों द्वारा प्रतिपादित अनुवाद–प्रक्रिया को समझ सकेंगे;
- अनुवाद की सीमाओं से परिचित होंगे;

2 प्रस्तावना

अनुवाद की प्रकृति एवं प्रकार जानने के उपरान्त प्रस्तुत अध्याय में अनुवाद के स्वरूप, अनुवाद–प्रक्रिया एवं अनुवाद की सीमाओं के बारे में की चर्चा की जा रही है। सबसे महत्त्वपूर्ण है– 'अनुवाद की प्रक्रिया'। अनुवाद के व्यावहारिक पहलु को जानने के लिए अनुवाद–प्रक्रिया को समझना जरूरी है। इसलिए प्रस्तुत अध्याय में नाइडा, न्यूमार्क और बाथगेट– तीनों विद्वानों द्वारा प्रतिपादित अनुवाद–प्रक्रिया को सोदाहरण प्रस्तुत किया गया है।

3. अनुवाद के स्वरूप

अनुवाद के स्वरूप के सन्दर्भ में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वज्जन अनुवाद की प्रकृति को ही अनुवाद का स्वरूप मानते हैं, जब कि कुछ भाषाविज्ञानी अनुवाद के प्रकार को ही उसके स्वरूप के अन्तर्गत स्वीकारते हैं। इस सम्बन्ध में डॉ. रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव का मत ग्रहणीय है। उन्होंने अनुवाद के स्वरूप को सीमित और व्यापक के आधार पर दो वर्गों में बाँटा है। इसी आधार पर अनुवाद के सीमित स्वरूप और व्यापक स्वरूप की चर्चा की जा रही है।

3.1 अनुवाद का सीमित स्वरूप

अनुवाद के स्वरूप को दो संदर्भों में बाँटा जा सकता है–

1. अनुवाद का सीमित स्वरूप तथा
2. अनुवाद का व्यापक स्वरूप

अनुवाद की साधारण परिभाषा के अंतर्गत पूर्व में कहा गया है कि अनुवाद में एक भाषा के निहित अर्थ को दूसरी भाषा में परिवर्तित किया जाता है और यही अनुवाद का सीमित स्वरूप है। सीमित स्वरूप (भाषांतरण संदर्भ) में अनुवाद को दो भाषाओं के मध्य होने वाला 'अर्थ' का अंतरण माना जाता है। इस सीमित स्वरूप में अनुवाद के दो आयाम होते हैं–

1. पाठधर्मी आयाम तथा
2. प्रभावधर्मी आयाम

पाठधर्मी आयाम के अंतर्गत अनुवाद में स्रोत–भाषा पाठ केंद्र में रहता है जो तकनीकी एवं सूचना प्रधान सामग्रियों पर लागू होता है। जबकि प्रभावधर्मी अनुवाद में स्रोत–भाषा पाठ की संरचना तथा बुनावट की अपेक्षा उस प्रभाव को पकड़ने की कोशिश की जाती है जो स्रोत–भाषा के पाठकों

पर पड़ा है। इस प्रकार का अनुवाद सृजनात्मक साहित्य और विशेषकर कविता के अनुवाद में लागू होता है।

3.2 अनुवाद का व्यापक स्वरूप

अनुवाद के व्यापक स्वरूप (प्रतीकांतरण संदर्भ) में अनुवाद को दो भिन्न प्रतीक व्यवस्थाओं के मध्य होने वाला 'अर्थ' का अंतरण माना जाता है। ये प्रतीकांतरण तीन वर्गों में बाँटे गए हैं–

1. अंतःभाषिक अनुवाद (अन्वयांतर),
2. अंतर भाषिक (भाषांतर),
3. अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद (प्रतीकांतर)

'अंतःभाषिक' का अर्थ है एक ही भाषा के अंतर्गत। अर्थात् अंतःभाषिक अनुवाद में हम एक भाषा के दो भिन्न प्रतीकों के मध्य अनुवाद करते हैं। उदाहरणार्थ, हिन्दी की किसी कविता का अनुवाद हिन्दी गद्य में करते हैं या हिन्दी की किसी कहानी को हिन्दी कविता में बदलते हैं तो उसे अंतःभाषिक अनुवाद कहा जाएगा। इसके विपरीत अंतर भाषिक अनुवाद में हम दो भिन्न–भिन्न भाषाओं के भिन्न–भिन्न प्रतीकों के बीच अनुवाद करते हैं।

अंतर भाषिक अनुवाद में अनुवाद को न केवल स्रोत–भाषा में लक्ष्य–भाषा की संरचनाओं, उनकी प्रकृतियों से परिचित होना होता है, वरन् उनकी सामाजिक–सांस्कृतिक परम्पराओं, धार्मिक विश्वासों, मान्यताओं आदि की सम्यक् जानकारी भी उसके लिए बहुत जरूरी है। अन्यथा वह अनुवाद के साथ न्याय नहीं कर पाएगा।

अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद में किसी भाषा की प्रतीक व्यवस्था से किसी अन्य भाषेत्तर प्रतीक व्यवस्था में अनुवाद किया जाता है। अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद में प्रतीक–1 का संबंध तो भाषा से ही होता है, जबकि प्रतीक–2 का संबंध किसी दृश्य माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए अमृता प्रीतम के 'पिंजर' उपन्यास को हिन्दी फिल्म 'पिंजर' में बदला जाना अंतर–प्रतीकात्मक अनुवाद है।

4. अनुवाद–प्रक्रिया

'प्रक्रिया' शब्द अंग्रेजी के 'process' का पर्याय है, जो 'प्ऱक्रिया' के संयोग से बनकर 'विशिष्ट क्रिया' का बोध कराता है । किसी कार्य की प्रक्रिया या विशिष्ट क्रिया को जानने का अर्थ होता है, कार्य को कैसे सम्पादित किया जाए। इस अर्थ में अनुवाद कर्म में हम स्रोत–भाषा से

लक्ष्य–भाषा तक पहुँचने के लिए जिन क्रमबद्ध सोपानों से होकर गुज़रते हैं, उन सुनिश्चित व सोद्देश्य सोपानों को 'अनुवाद–प्रक्रिया' कहा जाता है। अनुवाद प्रक्रिया की चर्चा की शुरुआत ख्यात भाषाविज्ञानी नोअम चॉमस्की(Noam Chomsky) के निष्पादक व्याकरण (Generative Grammar[1]) से करते हैं।

4.1 नोअम चॉमस्की (Noam Chomsky) की गहन संरचना एवं तल संरचना

चॉमस्की अपने निष्पादक व्याकरण द्वारा वाक्य के संरचनात्मक विवरण को निर्धारित करते हैं जिसे निम्नलिखित आरेख के द्वारा समझा जा सकता है :

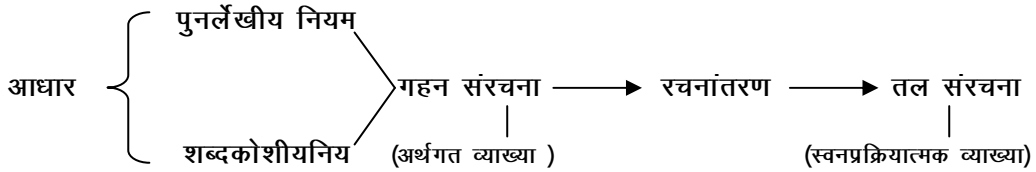

(आरेख : 1)

उनके अनुसार संरचना की दृष्टि से भाषा के दो तत्त्व होते हैं :

1–तल संरचना और

2–गहन संरचना

तल संरचना से तात्पर्य है भाषा की बाहरी स्वन प्रक्रिया तथा गहन संरचना से आशय है तल संरचना में निहित अर्थ तत्त्व। चॉमस्की गहन संरचना को एक नैसर्गिक अवयव मानते हुए भाषाओं के बीच अन्तर को केवल तल संरचना का अन्तर मानते हैं। चॉमस्की ने यहाँ जो आधार से गहन संरचना और पुनः गहन संरचना से तल संरचना की दोहरी गतिविधि की विवेचना की है, वह अनुवाद–प्रक्रिया में स्रोत–भाषा के विकोडीकरण तथा लक्ष्य–भाषा में उसके पुनः कोडीकरण को समझने में सहायक है। अतः ऊपर के आरेख को अनुवाद की प्रक्रिया में निम्नलिखितानुसार बदला जा सकता है :

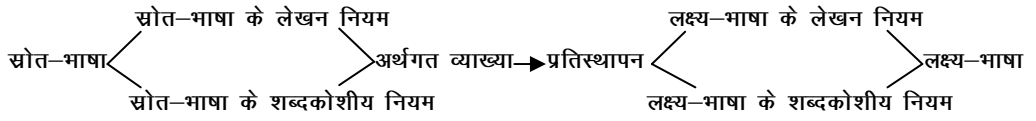

(आरेख : 2)

4.2 नाइडा (Nida) द्वारा प्रतिस्थापित अनुवाद–प्रक्रिया

नाइडा ने चॉमस्की के 'गहन संरचना' एवं 'तल संरचना' के आधार पर अनुवाद–प्रक्रिया में निम्नलिखित तीन सोपानों का उल्लेख किया है :

1– विश्लेषण (Analysis)

2– अन्तरण (Transference)

3– पुनर्गठन (Restructuring)

नाइडा द्वारा प्रतिस्थापित अनुवाद–प्रक्रिया को निम्नलिखित आरेख के माध्यम से भलीभाँति समझा जा सकता है :

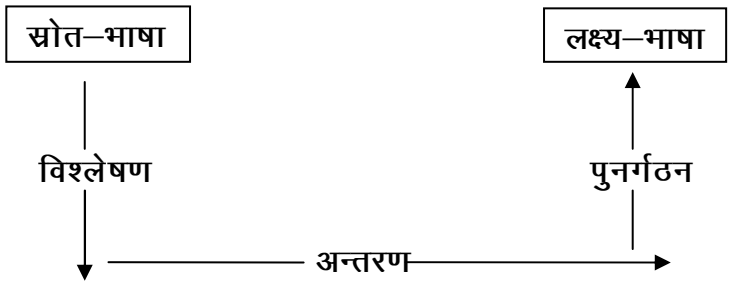

(आरेख : 3)

नाइडा द्वारा प्रतिस्थापित अनुवाद–प्रक्रिया का मूल आधार भाषा विश्लेषण के सिद्धान्त है। उनके मतानुसार पहले सोपान में अनुवादक मूल–पाठ या स्रोत–भाषा का विश्लेषण करता है। नाइडा मूल–पाठ के विश्लेषण के लिए एक सुनिश्चित भाषा सिद्धान्त की बात करते हैं। यह विश्लेषण भाषा के दोनों स्तर, बाह्य संरचना पक्ष तथा आभ्यन्तर अर्थपक्ष पर होता है, जिसमें मूल–पाठ का शाब्दिक अनुवाद तैयार हो जाता है। विश्लेषण से प्राप्त अर्थबोध का लक्ष्य–भाषा में अन्तरण अनुवाद का दूसरा सोपान होता है। यह अन्तरण सोपान में स्रोत–भाषा के सन्देश को लक्ष्य–भाषा की भाषिक अभिव्यक्ति में पुनर्विन्यस्त किया जाता है। तीसरे और अन्तिम सोपान में लक्ष्य–भाषा की अभिव्यक्ति प्रणाली और कथन रीति के अनुसार उसका निर्माण होता है। नाइडा के मतानुसार अनुवादक को 'स्रोत–भाषा पाठ में निहित अर्थ या सन्देश के विश्लेषण तथा लक्ष्य–भाषा में उसके पुनर्गठन' दो ध्रुवों के मध्य निरन्तर सम्यक् और सटीक तालमेल बिठाना होता है।

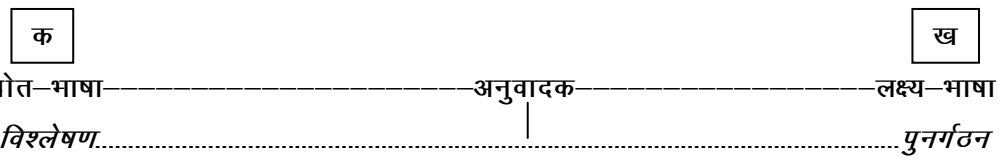

(आरेख : 4)

4.3 न्यूमार्क (New mark) द्वारा प्रतिस्थापित अनुवाद प्रक्रिया

न्यूमार्क द्वारा प्रतिस्थापित अनुवाद–प्रक्रिया नाइडा के सोपानों से मिलती जुलती अवश्य है किन्तु वह नाइडा के चिन्तन से अधिक व्यापक है। नीचे दिए गए आरेख से यह बात स्पष्ट हो जाएगी :

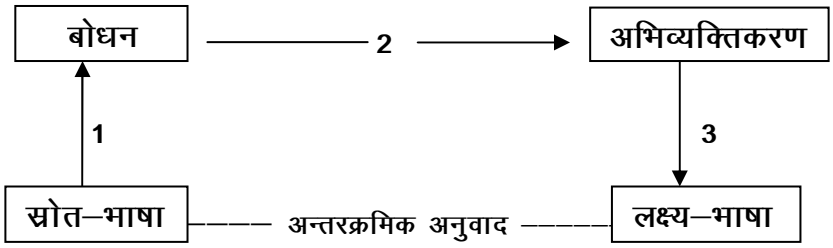

(आरेख : 5)

न्यूमार्क अनुवाद–प्रक्रिया को दो स्तरों पर आँकते हैं :

1– पहला स्तर है : अन्तरक्रमिक अनुवाद, जिसे खंडित रेखा द्वारा जोड़ा गया है, क्योंकि अन्तरक्रमिक अनुवाद शब्द–प्रति–शब्द अनुवाद होता है, जो कि भ्रामक है।

2– दूसरा स्तर है : मूल पाठ का अर्थ बोधन और लक्ष्य–भाषा में उस अर्थ का अभिव्यक्तिकरण।

न्यूमार्क द्वारा प्रस्तावित बोधन की प्रक्रिया, नाइडा के विश्लेषण की प्रक्रिया से इस दृष्टि से भिन्न है कि इसमें विश्लेषण से प्राप्त अर्थ के साथ–साथ अनुवादक द्वारा मूल–पाठ की व्याख्या का भाव भी सम्मिलित है।

4.4 बाथगेट (Bathgate) का चिन्तन

अनुवाद–प्रक्रिया के सम्बन्ध मे बाथगेट का चिन्तन बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। बाथगेट ने अनुवाद–प्रक्रिया में जिन सोपानों की परिकल्पना की है, वह सुचिन्तित, आधुनिक एवं वैज्ञानिक हैं। ये सोपान हैं :

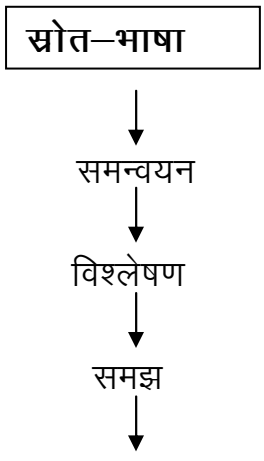

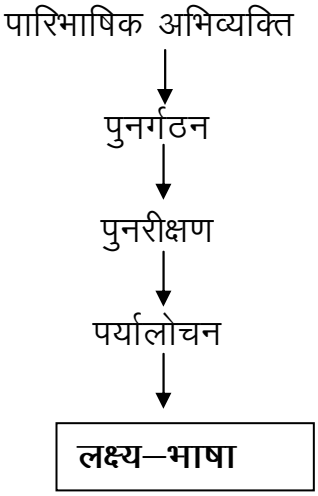

कहने की ज़रूरत नहीं कि ये सभी सोपान नाइडा और न्यूमार्क द्वारा प्रस्तावित सोपानों से अधिक संगत और वैज्ञानिक हैं। परन्तु इसमें दिया गया पहला सोपान 'समन्वयन' और अन्तिम सोपान 'पर्यालोचन', दोनों को अवान्तर परिकल्पना कहा जा सकता है। क्योंकि न तो स्रोत–भाषा पाठ के समन्वयन की ज़रूरत है न ही पुनरीक्षण के बाद पर्यालोचन की आवश्यकता। 'पुनरीक्षण' ही एक प्रकार का 'पर्यालोचन' है।

4.5 अनुवाद–प्रक्रिया में नाइडा, न्यूमार्क और बाथगेट

अनुवाद–प्रक्रिया एक आन्तरिक प्रक्रिया है, जो अनुवादक के मन–मस्तिष्क में घटित होती है। इसे शब्दबद्ध करने के पीछे यह बतलाना है कि अनुवाद कर्म में सामान्यतः अनुवादक को कौन–कौन से चरण से होकर गुज़रना होता है। साधारणतः अनुवाद कर्म में निम्नलिखित पाँच सोपान होते हैं :

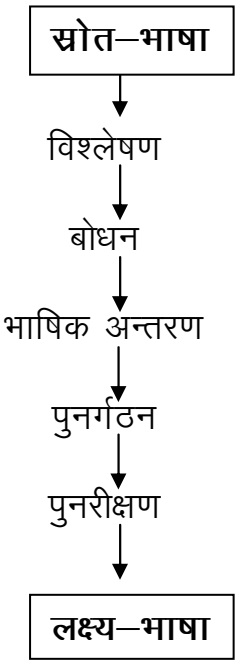

उपर्युक्त प्रक्रिया में न्यूमार्क, नाइडा एवं बाथगेट द्वारा प्रस्तावित सोपानों को शामिल किया गया है। अब अनुवाद के इन सोपानों के व्यावहारिक प्रयोग के लिए 'होरी की गाय अभी नहीं आई है' का अंग्रेजी अनुवाद करते हैं। यह पंक्ति प्रेमचन्द की महान् कृति 'गोदान' का निचोड़ है जो भारतीय किसान की तत्कालीन व वर्तमान स्थिति को दर्शाती है। 'गोदान की विषय–वस्तु से परिचित अनुवादकों के लिए इस पंक्ति का अनुवाद करना आसान होगा जबकि इसके विपरीत 'गोदान' से अपरिचित अनुवादक के लिए अपेक्षाकृत कठिन हो सकता है। वह निहित सन्दर्भ को न समझकर, इसका शाब्दिक अनुवाद कर देगा : 'Hori's cow has not come yet.' जो कि सही अनुवाद नहीं है। मगर 'गोदान' की विषय वस्तु से परिचित अनुवादक जब इसका अनुवाद करेगा, तो वह निम्नलिखित सोपानों से होकर गुज़रेगा :

स्रोत–भाषा

होरी की गाय अभी नहीं आई है ।

1. **विश्लेषण–**

Hori's cow has not come yet.

2. **बोधन–**

Hori' dream has not fulfilled yet.

3. **भाषिक अन्तरण–**

Hori, i.e.Indian farmers are still there where they were.

4. **पुनर्गठन–**

No change occured in Indian farmers' status.

5. **पुनरीक्षण–**

Status of Indian farmers has not been changed yet.

लक्ष्य–भाषा

Status of Indian farmers has not been changed yet.

क्योंकि 'होरी की गाय अभी नहीं आई है' इस पंक्ति के माध्यम से किसानों की दुर्दशा, उनकी मज़बूरी और त्रासदी को अभिव्यक्त किया गया है। आज भी हजारों किसान लाचारी की ज़िदगी जीने को विवश हैं। अनुवाद में यही विवशता व लाचारी झलकनी चाहिए।

उपर्युक्त प्रस्तावित प्रक्रिया अनुवाद कर्म में निहित भाषिक अन्तरण की प्रक्रिया को समझने में ज़रूर सहायक हैं मगर ज़रूरी नहीं कि हर अनुवादक अनुवाद के दौरान इन सब प्रक्रियाओं से होकर गुज़रे। यह अनुवादक के ज्ञान, कौशल और अनुभव पर निर्भर करता है और हो सकता है कि कोई अनुभवी अनुवादक इन सोपानों को एक छलांग में पार कर ले। दुभाषिया इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। दरअसल अनुवाद का चिन्तन क्षेत्र इतना विस्तृत है कि इसे किसी यंत्रवत प्रक्रिया की सीमा में नहीं बाँधा जा सकता।

5. अनुवाद की सीमाएँ

अनुवाद और अनुवाद–प्रक्रिया की जिन विलक्षणताओं को अनुवाद विज्ञानियों ने बार–बार रेखांकित किया है, उन्हीं के परिपार्श्व से हिन्दी अनुवाद की अनेकानेक समस्याएँ भी उभरी हैं। बकौल प्रो. बालेन्दु शेखर तिवारी हिन्दी के उचित दाय की संप्राप्ति में जिन बहुत सारी समस्याओं को राह का पत्थर समझा जा रहा है उनमें अनुवाद की समस्याएँ अपनी विशिष्ट पहचान रखती हैं।

अनुवाद से भाषा का संस्कार होता है, उसका आधुनिकीकरण होता है। वह दो भिन्न संस्कृतियों को जोड़ने वाला संप्रेषण सेतु है। एक भाषा को दूसरी भाषा में अन्तरण की प्रक्रिया में अनुवादक दो भिन्न संस्कृति में स्थित समतुल्यता की खोज करता है। एतदर्थ उसे पर्यायवाची शब्दों के विविध रूपों से जूझना पड़ता है। इसी खोज और संतुलन बनाने की प्रक्रिया में कभी–कभी एक ऐसा भी मोड़ आता है जहाँ अनुवादक को निराश होना पड़ता है। समतुल्यता या पर्यायवाची शब्द हाथ न लगने की निराशा। अननुवाद्यता (untranslatability) की यही स्थिति अनुवाद की सीमा है। जरूरी नहीं कि हर भाषा और संस्कृति का पर्यायवाची दूसरी भाषा और संस्कृति में उपलब्ध हो। प्रत्येक शब्द की अपनी सत्ता और सन्दर्भ होता है। कहा तो यह भी जाता है कोई शब्द किसी का पर्यायवाची नहीं होता। प्रत्येक शब्द एवं रूप का अपना–अपना प्रयोग गत अर्थ–सन्दर्भ सुरक्षित है। इस दृष्टि से एक शब्द को दूसरे की जगह रख देना भी एक समस्या है। स्पष्ट है कि हर रूप की अपनी–अपनी समस्याएँ हैं और इन समस्याओं के कारण अनुवाद की सीमाएँ

बनी हुई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कैटफोर्ड ने अनुवाद की सीमाएँ दो प्रकार की बतायी हैं–

1. भाषापरक सीमाएँ और
2. सामाजिक–सांस्कृतिक सीमाएँ

भाषापरक सीमा से अभिप्राय यह है कि स्रोत–भाषा के शब्द, वाक्यरचना आदि का पर्यायवाची रूप लक्ष्य–भाषा में न मिलना। सामाजिक–सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के अन्तरण में भी काफी सीमाओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि प्रत्येक भाषा का सम्बन्ध अपनी सामाजिक–सांस्कृतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। परन्तु पोपोविच का कहना है कि भाषापरक समस्या दोनों भाषाओं की भिन्न संरचनाओं के कारण उठ सकती है किन्तु सामाजिक–सांस्कृतिक समस्या सर्वाधिक जटिल होती है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि भाषापरक और सामाजिक –सांस्कृतिक समस्याएँ एक–दूसरे के साथ गुँथी हुई हैं, अतः इसका विवेचन एक दूसरे को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। बहरहाल, इस चर्चा से यह स्पष्ट हो गया कि अनुवाद की सीमाओं को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :

1. भाषापरक सीमाएँ,
2. सामाजिक–सांस्कृतिक सीमाएँ और
3. पाठ–प्रकृतिपरक सीमाएँ

इन सीमाओं की संक्षिप्त चर्चा जरूरी है।

5.1 अनुवाद की भाषापरक सीमाएँ

जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है कि प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना एवं प्रकृति होती है। इसीलिए स्रोत–भाषा और लक्ष्य–भाषा के भाषिक रूपों में समान अर्थ मिलने की स्थिति बहुत कम होती है। कई बार स्रोत–भाषा के समान वाक्यों में सूक्ष्म अर्थ की प्राप्ति होती है लेकिन उनका अन्तरण लक्ष्य–भाषा में कर पाना सम्भव नहीं होता। उदाहरणार्थ इन दोनों वाक्यों को देखें : 'लकड़ी कट रही है' और 'लकड़ी काटी जा रही है'। सूक्ष्म अर्थ भेद के कारण इन दोनों का अलग–अलग अंग्रेजी अनुवाद संभव नहीं होगा। फिर किसी कृति में अंचल–विशेष या क्षेत्र–विशेष के जन–जीवन का समग्र चित्रण अपनी क्षेत्रीय भाषा या बोली में जितना स्वाभाविक या सटीक हो पाता है उतना भाषा के अन्य रूप में नहीं। जैसे कि फणीश्वरनाथ रेणु का 'मैला आँचल'। इस उपन्यास में अंचल विशेष के लोगों की जो सहज अभिव्यक्ति मिलती है उसे दूसरी भाषा में अनुवाद करना बहुत कठिन कार्य है। इसके अतिरिक्त भाषा की विभिन्न बोलियाँ अपने क्षेत्रों की विशिष्टता को

अपने भीतर समेटे होती हैं। यह प्रवृत्ति ध्वनि, शब्द, वाक्य आदि के स्तरों पर देखी जा सकती है। जैसे चीनी, जापानी आदि भाषाएँ ध्वन्यात्मक न होने के कारण उनमें तकनीकी शब्दों को अनूदित करना श्रम साध्य होता है। अनुवाद करते समय नामों के अनुवाद की समस्या भी सामने आती है। लिप्यन्तरण करने पर उनके उच्चारण में बहुत अन्तर आ जाता है। स्थान विशेष भी भाषा को बहुत प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए एस्किमो भाषा में बर्फ के ग्यारह नाम हैं जिसे दूसरी भाषा में अनुवाद करना सम्भव नहीं है।

वास्तव में हिन्दी में अनुवाद की समस्याएँ इस भाषा के मूलभूत चरित्र की न्यूनताओं और विशिष्टताओं से जुड़ी हुई हैं। वस्तुतः हिन्दी जैसी विशाल हृदय भाषा में अनुवाद की समस्याएँ अपनी अलग पहचान रखती हैं। भिन्नार्थकता, न्यूनार्थकता, आधिकारिकता, पदाग्रह, भिन्नाशयता और शब्दविकृति जैसे दोष ही हिन्दी में अनुवाद कार्य के पथबाधक नहीं हैं, बल्कि हिन्दी के अनुवादक को अपनी रचना की संप्रेषणीयता की समस्या से भी जूझना पड़ता है। निम्नलिखित आरेख से बातें स्पष्ट हो जाएगीं–

अनुवाद की भाषावैज्ञानिक सीमाएँ

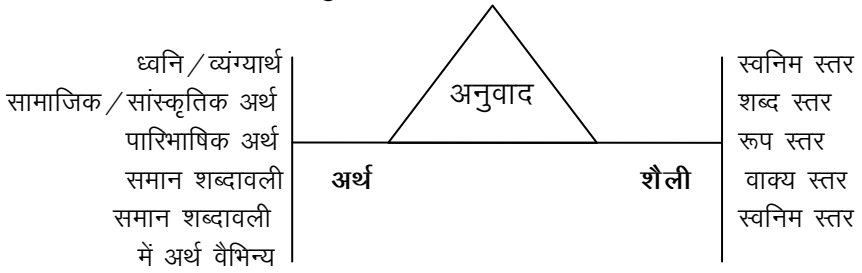

(आरेख : 1)

5.2 अनुवाद की सामाजिक–सांस्कृतिक सीमाएँ

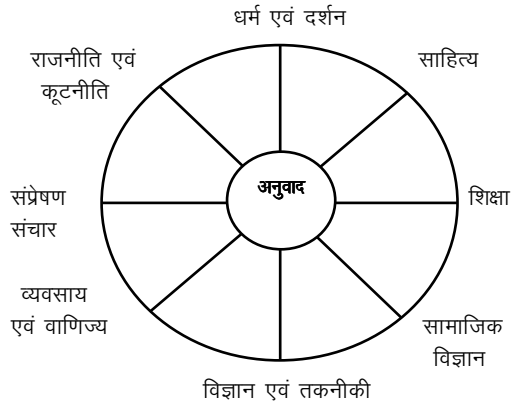

(संस्कृति और अनुवाद)

(आरेख : 2)

उपर्युक्त संस्कृति–चक्र से स्पष्ट है कि भाषा और संस्कृति का अटूट सम्बन्ध होता है। अनुवाद तो दो भिन्न संस्कृतियों को जोड़ने वाला संप्रेषण–सांस्कृतिक सेतु है। एक भाषा को दूसरी भाषा में अन्तरण की प्रक्रिया में अनुवादक दो भिन्न संस्कृति में स्थित समतुल्यता की खोज करता है। वास्तव में मानव अभिव्यक्ति के एक भाषा रूप में भौगोलिक, ऐतिहासिक और सामाजिक–सांस्कृतिक तत्त्वों का समावेश हो जाता है जो एक भाषा से दूसरी भाषा में भिन्न होते हैं। अतः स्रोत–भाषा के कथ्य को लक्ष्य–भाषा में पूर्णतया संयोजित करने में अनुवादक को कई बार असमर्थता का सामाना करना पड़ता है। यह बात अवश्य है कि समसांस्कृतिक भाषाओं की अपेक्षा विषम सांस्कृतिक भाषाओं के परस्पर अनुवाद में कुछ हद तक अधिक समस्याएँ रहती हैं। 'देवर–भाभी', 'जीजा–साली' का अनुवाद यूरोपीय भाषा में नहीं हो सकता क्योंकि भाव की दृष्टि से इसमें जो सामाजिक सूचना निहित है वह शब्द के स्तर पर नहीं आँकी जा सकती। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति के 'कर्म' का अर्थ न तो 'action' हो सकता है और न ही 'performance' क्योंकि 'कर्म' से यहाँ पुनर्जन्म निर्धारित होता है जबकि 'action' और 'performance' में ऐसा भाव नहीं मिलता।

5.3 अनुवाद की पाठ–प्रकृतिपरक सीमाएँ

अनुवाद की आवश्यकता का अनुभव हिन्दी में इसी कारण तीव्रता से किया गया कि भाषाओं के पारस्परिक आदान–प्रदान से हिन्दी को समृद्ध होने में सहायता मिलेगी और भाषा के वैचारिक तथा अभिव्यंजनामूलक स्वरूप में परिवर्तन आएगा। हिन्दी में अनुवाद के महत्त्व को मध्यकालीन टीकाकारों ने पांडित्य के धरातल पर स्वीकार किया था, लेकिन यूरोपीय सम्पर्क के पश्चात् हिन्दी को अनुवाद की शक्ति से परिचित होने का वृहत्तर अनुभव मिला। हिन्दी में अनुवाद की परम्परा भले ही अनुकरण से प्रारम्भ हुई, लेकिन आज ज्ञान–विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अनुवाद की विभिन्न समस्याओं ने हिन्दी का रास्ता रोक रखा है। विभिन्न विषयों तथा कार्यक्षेत्रों की भाषा विशिष्ट प्रकार की होती है। प्रशासनिक क्षेत्र में कई बार 'sanction' और 'approval' का अर्थ सन्दर्भ के अनुसार एक जैसा लगता है, अतः वहाँ दोनों शब्दों में भेद कर पाना सम्भव नहीं है। इसी प्रकार जीवविज्ञान में 'poison' और 'venom' शब्दों का अर्थ एक है किन्तु ये अपने विशिष्ट गुणों के कारण भिन्न हो जाते हैं। अतः पाठ की प्रकृति के अनुसार पाठ का विन्यास करना पड़ता है। जब तक पाठ की प्रकृति और उसके पाठक का निर्धारण नहीं हो पाता तब तक उसका अनुवाद कर पाना सम्भव नहीं हो पाता।

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हर भाषा की अपनी संरचनात्मक व्यवस्था और सामाजिक–सांस्कृतिक परम्परा होती है। इसके साथ–साथ विभिन्न प्रयोजनों में प्रयुक्त होने के कारण उसका अपना स्वरूप भी होता है। यही कारण है कि अनुवाद की प्रक्रिया में स्रोत–भाषा और लक्ष्य–भाषा की समतुल्यता के बदले उसका न्यूनानुवाद या अधिअनुवाद ही हो पाता है।

सन्दर्भ –

1– Generative grammar *: a particular grammar of a particular language which, in a purely mechanical way, is capable of enumerating all and only the grammatical sentence of that language. Generative grammar in this sense was introduced by Noam Chomsky in the 1950s.*

6. बोध प्रश्न

1. अनुवाद–प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं ?

.....

.....

.....

2. अनुवाद के व्यापक स्वरूप को कितने भागों में बाँटा गया है ?

.....

.....

.....

3. अनुवाद के सीमित स्वरूप के कितने आयाम होते हैं ?

.....

.....

.....

4. नाइडा द्वारा प्रस्तावित अनुवाद की प्रक्रिया में आए तीनों सोपानों की चर्चा कीजिए ?

.....

.....

.....

5. न्यूमार्क द्वारा संकेतित बोधन की प्रक्रिया को नाइडा द्वारा प्रस्तावित विश्लेषण प्रक्रिया से अधिक व्यापक क्यों माना गया है ?

.....

.....

.....

7. सारांश

प्रस्तुत सामग्री में हमने देखा कि अनुवाद एक भाषिक प्रक्रिया है। लक्ष्य–भाषा में निहित अर्थ या संदेश का स्रोत–भाषा में अंतरण करना अनुवाद कहा जाता है। अनुवाद के स्वरूप की चर्चा करते हुए हमने पाया कि व्यापक स्वरूप में अनुवाद को 'प्रतीकांतरण' के रूप में ग्रहण किया जाता है जबकि सीमित स्वरूप में उसे 'भाषांतरण' के रूप में स्वीकारा जाता है। हमने जाना कि अनुवाद प्रक्रिया एक मानसिक कार्य–व्यापार है और यह जरूरी नहीं कि विद्वानों द्वारा प्रतिपादित अनुवाद प्रक्रियाओं के हर सोपान से क्रमशः गुजरकर ही अनुवाद कार्य किया जाए। हमने यह भी जान कि अनुवाद दो भिन्न संस्कृतियों को जोड़ने वाला संप्रेषण सेतु है। एक भाषा को दूसरी भाषा में अन्तरण की प्रक्रिया में अनुवादक दो भिन्न संस्कृति में स्थित समतुल्यता की खोज करता है। परन्तु यह जरूरी नहीं कि हर भाषा और संस्कृति का पर्यायवाची दूसरी भाषा और संस्कृति में उपलब्ध हो। प्रत्येक शब्द की अपनी सत्ता और सन्दर्भ होता है। कहा तो यह भी जाता है कोई शब्द किसी का पर्यायवाची नहीं होता। प्रत्येक शब्द एवं रूप का अपना–अपना प्रयोग गत अर्थ–सन्दर्भ सुरक्षित है। इस दृष्टि से एक शब्द को दूसरे की जगह रख देना भी एक समस्या है। स्पष्ट है कि हर रूप की अपनी–अपनी समस्याएँ हैं और इन समस्याओं के कारण अनुवाद की सीमाएँ बनी हुई हैं। इसलिए स्रोत–भाषा की अभिव्यक्ति में जो अर्थ व्यक्त होता है उसकी तुलना में लक्ष्य–भाषा में व्यक्त किया गया अर्थ या तो विस्तृत या संकुचित या कुछ भिन्न होता है।

8. बोध प्रश्नों के उत्तर

1. देखें भाग 4
2. देखें भाग 3.2
3. देखें भाग 3.1
4. देखें भाग 4.2
5. देखें भाग 4.3

इकाई–4 : अनुवाद एवं भाषाविज्ञान

रूपरेखा

1. उद्देश्य
2. प्रस्तावना
3. अनुवाद और भाषाविज्ञान
    - 3.1 भाषा का अनुवाद और अनुवाद की भाषा
    - 3.2 अनुवाद और अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान
4. अनुवाद और भाषाविज्ञान का अन्तर्सम्बन्ध
    - 4.1 भाषाविज्ञान एवं अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान
    - 4.2 अनुवाद एवं व्यतिरेकी भाषाविज्ञान
    - 4.3 अनुवाद एवं ध्वनिविज्ञान
    - 4.4 अनुवाद एवं अनुलेखन
    - 4.5 अनुवाद एवं रूपविज्ञान
    - 4.6 अनुवाद एवं शब्दविज्ञान
    - 4.7 अनुवाद एवं अर्थविज्ञान
    - 4.8 अनुवाद एवं वाक्यविज्ञान
5. बोध प्रश्न
6. सारांश
7. बोध प्रश्नों के उत्तर

1. उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आपः

- भाषा का अनुवाद एवं अनुवाद की भाषा के बारे में सामान्य परिचय पा सकेंगे;
- अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान एवं अनुवाद के सम्बन्ध को रेखांकित कर सकेंगे;
- भाषाविज्ञान एवं अनुवाद के अंतः सम्बन्ध को पहचान सकेंगे;

2. प्रस्तावना

भाषा विज्ञानियों ने अनुवाद के अध्ययन की जो भाषावैज्ञानिक दृष्टि का विकास किया है उसका सीधा सम्बन्ध अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान (Applied Linguistics) से है। इस दृष्टि से प्रस्तुत अध्याय 'अनुवाद और भाषाविज्ञान'

में अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान के सामान्य परिचय कराने के साथ–साथ भाषाविज्ञान और अनुवाद के सम्बन्ध की चर्चा की गई।

3. अनुवाद और भाषाविज्ञान

अनुवाद एक भाषिक कला है। सामान्य अर्थ में, एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कहना 'अनुवाद' है। यहाँ कथन या अभिव्यक्ति का माध्यम है 'भाषा'। स्पष्ट है कि अनुवाद क्रिया पूर्णतः भाषा पर आधारित है। कदाचित इसीलिए भोलानाथ तिवारी जी ने अनुवाद को 'भाषान्तर' कहा है। एक भाषिक क्रिया होने के नाते अनुवाद का भाषा से ही नहीं, भाषाविज्ञान से भी गहरा सम्बन्ध है, क्योंकि भाषाविज्ञान में 'भाषा' का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। भाषा की संरचना में ध्वनि, शब्द, रूप, अर्थ, वाक्य आदि कई स्तर होते हैं। इनके आधार पर भाषाविज्ञान के अन्तर्गत ध्वनिविज्ञान, रूपविज्ञान, अर्थविज्ञान, वाक्यविज्ञान आदि का विधिवत व वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अनुवाद में भी ध्वनि, शब्द, रूप आदि की दृष्टि से स्रोत–भाषा और लक्ष्य–भाषा की तुलना करनी होती है। इन विविध स्तरों पर दो भाषाओं की प्रकृति, संरचना, शैली आदि में जो अन्तर होते हैं, वे समान प्रतीत होने वाले प्रसंगों में भी अलग–अलग अर्थ भर देते हैं। अनुवाद में भाषान्तरण के बावजूद अर्थ की रक्षा अपरिहार्य होती है। अतः अनुवादक को स्रोत–भाषा तथा लक्ष्य–भाषा की प्रकृति, संरचना, विविध भाषिक तथा व्याकरणिक स्तरों, विभिन्न शैलियों तथा इन तमाम पक्षों से सम्बद्ध अर्थ व्यंजनाओं का सम्पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।

3.1 भाषा का अनुवाद और अनुवाद की भाषा

भारतवर्ष विभिन्न भाषाओं एवं उपभाषाओं रूपी सरिताओं का संगम है। यहाँ एक ओर संस्कृति की पावन गंगा प्रवाहित है जिसने अमृत वाङ्मय से समस्त क्षेत्रीय भाषाओं को भी अनुप्राणित किया है, दूसरी ओर हमारी संस्कृति की अंतःसलिला सरस्वती है जो विविधि वेशभूषा, रीतिरिवाजों के बाह्य भेदों की विद्यमानता के बावजूद समस्त भारत को रागात्मकता के एक सूत्र में बाँधे हुए हैं। भाषा ही वह जीवन–ज्योति है जो मानव को मानव से जोड़ती है। यह विचारों के आदान–प्रदान में सहायक होने के साथ–साथ परम्पराओं, संस्कृतियों और मान्यताओं एवं विश्वासों को समझने का सशक्त माध्यम भी है। किसी भी देश की धड़कन उसकी भाषा में ही निहित होती है। जहाँ भाषा विचारों की संवाहिका है, वहीं अनुवाद विविध भाषाओं एवं विविध संस्कृतियों

से साक्षात्कार कराने वाला साधन। अनुवादक अपने भागीरथ प्रयास से दो भिन्न एवं अपरिचित संस्कृतियों, परिवेशों एवं भाषाओं की सौन्दर्य चेतना को अभिन्न और परिचित बता देता है।

अनुवाद उतना ही प्राचीन है जितनी कि भाषा। हमारा भारत भाषाओं और उनके बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से यूरोप से बहुत बड़ा है। और सच तो यह है कि भाषाओं के मामले में हम दुनिया के सिरमौर हैं। दुनिया की पचास बड़ी भाषाओं में से एक तिहाई भारत की भाषाएँ हैं। अनादि काल से वे मनुष्य जाति के पारस्परिक आदान–प्रदान का सशक्त माध्यम रही हैं। भाषा और साहित्य हमारी संस्कृति के उद्‌गाता और संवाहक रही हैं।

भाषा और अनुवाद का भविष्य परस्पर अन्योन्याश्रित है। भाषा का भविष्य अनुवाद का भी भविष्य है । वर्तमान भाषा के रूप को पहचानते हुए भविष्य की कल्पना की जाती है। आज कई प्रकार के भाषा–रूप हैं, जैसे बोलचान की भाषा, साहित्यिक भाषा, माध्यम भाषा, सम्पर्क भाषा, जनसंचार माध्यम की भाषा इत्यादि। बोलचाल की भाषा में व्याकरण के ज्ञान की आवश्यकता नहीं, जबकि साहित्यिक भाषा में रचनाधर्मिता प्रकट होने के कारण व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। माध्यम भाषा के द्वारा शिक्षण प्राप्त करते हैं। जनसंचार की भाषा के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दो अलग प्रकार के माध्यम हैं। इसका मुख्य उद्‌देश्य जनता को सूचना देना, प्रशिक्षण, प्रबोधन, अभिप्रेरण, प्रोत्साहन तथा मनोरंजन करना है। इसी कारण इस माध्यम में भाषा को रोचक रूप में प्रस्तुत करने का विशेष प्रयास रहता है।

यह अलग बात है कि बाज़ारवाद के चलते आज भाषा का व्यावसायीकरण हो गया है। इंटरनेट, कंप्यूटर आदि के कारण दैनन्दिन जीवन की आवश्यकताओं में प्रयोग होने वाली भाषा पर विस्तार देने का प्रयास होने लगा है। भाषा में दिनोंदिन परिष्कार हो रहा है, जिससे शब्दों में निखार आता जा रहा है। पहले 'Public Latrine' शब्द लिए 'संडास' शब्द का प्रयोग किया जाता था, जो सुनने और बोलने में बड़ा अरुचिकर लगता था, परन्तु धीरे–धीरे इसके स्थान पर प्रसाधन, सुलभ शौचालय, जनसुविधाएँ आदि शब्द आए, ये शब्द ज्यादा गरिमा मंडित हैं।

भाषा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी ग्रहण क्षमता है, जिस भाषा में यह गुण नहीं, वह भाषा दम तोड़ है। किसी भी भाषा से अनुवाद करते समय अनुवाद के सरलीकरण का प्रयास रहना चाहिए। यदि अनुवाद को जटिल बनाने का प्रयास किया गया तो स्थिति बिगड़ने की संभावना रहती है। संप्रेषण ग्राह्यता जब तक भाषा में नहीं होगी, वह अनुवाद या भाषा जनसम्पर्क का माध्यम नहीं बन सकती। भाषा भावाभिव्यक्ति के साथ–साथ चिन्तन का भी माध्यम है। हर शब्द की व्यंजना, प्रकृति, प्रवृत्ति, संस्कृति,

इतिहास अलग होता है। अतः अनुवाद करते समय इसे समझना होगा। भाषा और शब्द की प्रकृति से भलीभाँति परिचित होना होगा।

3.2 अनुवाद और अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान

आधुनिक युग को अनुवाद का युग कहेंगे अतिशयोक्ति न होगी। क्योंकि अनुवाद–अध्ययन और अनुसंधान आधुनिक युग की पुकार है। दूसरे शब्दों में, आधुनिक युग में जीवन के अनेक क्षेत्रों के विकास के साथ–साथ भाषायी स्तर पर, संप्रेषण–व्यापार हेतु अनुवाद एक अहम् आवश्यकता के रूप में उभरकर सामने आया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब हम किसी एक भाषा में अभिव्यक्त भाव या विचारों के लिखित रूप को किसी अन्य भाषा–भाषी समुदाय के संप्रेषणार्थ, दूसरी भाषा में यथासाध्य मूलनिष्ठ किन्तु बोधगम्य रूप में परिवर्तित करते हैं तो यह भाव या विचारों के सोद्देश्यपूर्ण भाषान्तर–प्रक्रिया 'अनुवाद' कहलाती है।

आधुनिक भाषाविज्ञान में भाषा के अनुप्रायोगिक पक्ष पर भी चिन्तन हुआ है। 'भाषा का सैद्धान्तिक विश्लेषण और वाक्य, रूपिम, स्वनिम आदि उसके व्याकरणिक स्तरों का वैज्ञानिक अध्ययन भाषाविज्ञान का सिद्धान्त कहलाता है, जबकि सौद्धान्तिक भाषाविज्ञान के नियमों सिद्धान्तों, तथ्यों और निष्कर्षों का किसी अन्य विषय में अनुप्रयोग करने की प्रक्रिया ओर क्रिया कलाप का विज्ञान ही अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान(Applied Linguistics) है।' बकौल कृष्णकुमार गोस्वामी अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान प्रायोगिक एवं कार्योन्मुख एक ऐसी वैज्ञानिक विधा है, जो मानव कार्य–व्यापार में उठने वाली भाषागत समस्याओं का समाधान ढूँढती है। भाषिक क्षमता एवं भाषिक व्यवहार के सन्दर्भ में अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान का सम्बन्ध प्रत्यक्षतः व्यवहार पक्ष से जुड़ा हुआ है। यदि भाषाविज्ञान प्रत्येक 'क्या' का उत्तर देता है अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान प्रत्येक 'कैसे' तथा 'क्यों' का उत्तर देता है। यह उपभोक्ता सापेक्ष होता है, जिसमें भाषा के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सन्दर्भ में भाषा–सिद्धान्तों का अनुप्रयोग होता है। वास्तव में भाषा से हम क्या–क्या काम ले सकते हैं, अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान उस दिशा में काम करता है। इसलिए जैसे–जैसे इसकी उपयोगिता बढ़ती गई, देश एवं काल के अनुसार उसे भिन्न–भिन्न विधाओं से सम्बद्ध किया जाता रहा है; यथा भाषा–शिक्षण, अनुवाद, कोशविज्ञान, शैलीविज्ञान, कंप्यूटर भाषाविज्ञान, समाज भाषाविज्ञान।

सामान्यतः अनुवाद से अभिप्राय एक भाषाई संरचना के प्रतीकों के द्वारा सम्प्रेष्य अर्थ को दूसरी भाषा की संरचना के प्रतीकों में परिवर्तित करने से लिया जाता है। डार्टेस्ट ने अनुवाद को अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान की एक

शाखा के रूप में परिभाषित करते हुए लिखा है कि अनुवाद, अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विशेषतः एक प्रतिमानित प्रतीक समूह से दूसरे प्रतिमानित प्रतीक समूह में अर्थ को अन्तरित करने की समस्या या तत् सम्बन्धी तथ्यों पर विचार–विमर्श किया जाता है :

'Translation is that branch of applied science of language which is specifically concerned with the problem -or the fact- of the transference of meaning from one set of patterned symbols into another set of patterned symbols.' (–Loche & Booth, 1995, pg. 124)

अनुवाद को अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान के अन्तर्गत शामिल करने का कारण यह है कि अनुवाद कर्म में स्रोत–भाषा से लक्ष्य–भाषा तक पहुँचने में हम जिन प्रक्रियाओं से होकर गुजरते हैं उसका वैज्ञानिक विश्लेषण (scientific analysis) किया जा सकता है। भाषा विज्ञानियों का मानना है कि अनुवाद क्रिया में पहले ***स्रोत–भाषा का विकोडीकरण*** (Decoding of Source Language) होता है जिसका बाद में ***लक्ष्य–भाषा में पुनः कोडीकरण*** (Encoding of Target Language) किया जाता है। निम्नलिखित क्रम को देखें :

1. स्रोत–भाषा (Encoding of Source Language) ⟶ **2. स्रोत–भाषा का कोडीकृत संदेश** (Encoded message S.L.) ⟶ **3. अन्तरण अर्थात् स्रोत–भाषा का विकोडीकरण** (Decoding of S.L.) ⟶ **4. लक्ष्य–भाषा का कोडीकृत संदेश** (Encoded message of Target Language) ⟶ **5. लक्ष्य–भाषा** (Encoding of T.L.)

इसे निम्नलिखित आरेख से सहज ही समझा जा सकता है :

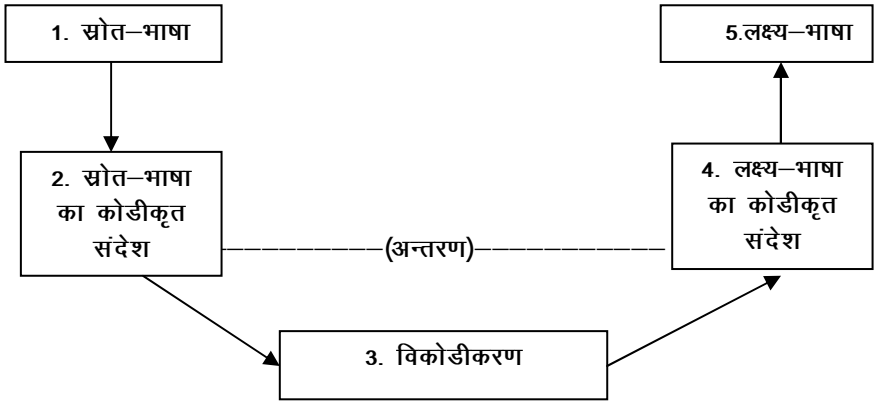

आरेख : 1

अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान के क्षेत्र के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद हैं। इसी परिप्रेक्ष्य मं रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव, भोलानाथ तिवारी और कृष्णकुमार गोस्वामी ने अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान के कार्यक्षेत्र का अध्ययन करते हुए उसके तीन सन्दर्भ बताए हैं :

1. ज्ञान–क्षेत्र का सन्दर्भ
2. विधा–क्षेत्र का सन्दर्भ
3. भाषा शिक्षण का सन्दर्भ

ज्ञान–क्षेत्र में भाषाविज्ञान और उसके सिद्धान्तों का अनुप्रयोग ज्ञान के अन्य क्षेत्रों को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे मनोभाषाविज्ञान, समाजभाषाविज्ञान, कंप्यूटर भाषाविज्ञान आदि।

विधा–क्षेत्र में भाषावैज्ञानिक सिद्धान्तों का अनुप्रयोग विशेष विधाओं में किया जाता है। शैलीविज्ञान, अनुवादविज्ञान, कोशविज्ञान, वाक्चिकित्सा विज्ञान आदि।

जहाँ तक भाषा शिक्षण का प्रश्न है, दूसरी भाषा–शिक्षण (Second Language Teaching) अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान की एक महत्त्वपूर्ण शाखा है। भाषाविज्ञान के क्षेत्र में दूसरी भाषा' पद एक पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है जिसकी एक निश्चित संकल्पना है। मातृभाषा हमारी प्रथम भाषा(First Language) होती है। दूसरी भाषा को सीखने में माध्यम बनती है मातृभाषा। दूसरी भाषा के रूप में जब वह कोई अन्य भाषा पढ़ता है तब उसके सोचने–समझने में मातृभाषा उसकी व्यावहारिक भाषा रहती है क्योंकि वह व्यक्ति की जीवन पद्धति, आचार–विचार और व्यवहार की भाषा होती है। दूसरी भाषा शिक्षण में अनुवाद की प्रक्रिया को भाषा सीखने की प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाता है। अनुवाद भाषा–शिक्षण की परम्परागत और सिद्ध पद्धति है। मातृभाषा अथवा प्रथम भाषा का जो संरचनागत ढाँचा व्यक्ति के मस्तिष्क में व्यावहारिक स्तर पर विद्यमान होता है, उसका उपयोग इस पद्धति से दूसरी भाषा सिखाने में कर लिया जात है और व्यक्ति धीरे–धीरे सुविधाजनक ढंग से दूसरी भाषा व्यवहार में दक्षता अर्जित कर लेता है। अनुवाद–प्रक्रिया की भाँति उसे अपनी भाषा (स्रोत–भाषा) की शब्दावली के पर्याय उसे दूसरी भाषा में खोजकर याद करने होते हैं, इन शब्दों के विभिन्न रूपों से परिचय प्राप्त करना होता है तथा भाषा के संरचनागत (व्याकरण संबंधी) नियमों की जानकारी हासिल करनी होती है। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्त–रचना करते समय वह नियमों का सतर्कतापूर्वक पालन करता है। ऐसा करते समय वह अपनी भाषा में सोचता है, फिर उस बात को उस भाषा में पढ़ता है, उस पाठ के पर्याय अपनी भाषा मे तलाशता है और कथ्य को दूसरी भाषा(लक्ष्य–भाषा) में प्रस्तुत करता है।

अनुवाद के माध्यम से दूसरी भाषा–शिक्षण दुनिया भर में बहुत समय से प्रचलित रहा है। सदियों से लोग इस पद्धति से भाषा सीखते रहे हैं।

4. अनुवाद और भाषाविज्ञान का अन्तर्सम्बन्ध

4.1 भाषाविज्ञान एवं अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान

भाषा का विधिवत एवं वैज्ञानिक अध्ययन भाषाविज्ञान सिद्धान्त कहलाता है जबकि सैद्धान्तिक भाषाविज्ञान के नियमों, सिद्धान्तों, तथ्यों और निष्कर्षों का किसी अन्य विषय में अनुप्रयोग करने की प्रक्रिया और क्रिया–कलाप का विज्ञान ही अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान है। दूसरे शब्दों में कहें तो, अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान में भाषाविज्ञान से प्राप्त सैद्धान्तिक जानकारी का विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग करते हैं। अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञानी अपने ज्ञान भंडार के विवेचनात्मक परीक्षण के पश्चात् उसका अनुप्रयोग उन क्षेत्रों में करता है जहाँ मानव–भाषा एक केन्द्रीय घटक होती है जिससे उन क्षेत्रों की कार्यक्षमता का संवर्द्धन किया जा सकता है।

अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान एक ऐसी प्रायोगिक, कार्योन्मुख वैज्ञानिक विधा है जो मानव कार्य–व्यापार में उठने वाली भाषागत समस्याओं का समाधान ढूँढ़ती है। भाषिक क्षमता एवं भाषिक व्यवहार के सन्दर्भ में अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान का सम्बन्ध प्रत्यक्षतः व्यवहार पक्ष से जुड़ा हुआ है। यदि भाषाविज्ञान प्रत्येक 'क्या' का उत्तर देता है तो अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान प्रत्येक 'कैसे' तथा 'क्यों' का उत्तर देता है। चूँकि अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान का सम्बन्ध विशेष विधाओं से है, अतः इसमें भाषावैज्ञानिक सिद्धान्तों का जो अनुप्रयोग किया जाता है उसका लक्ष्य संक्रियात्मक होता है। संक्रियात्मक रूप में शैलीविज्ञान, अनुवादविज्ञान, कोशविज्ञान, वाक्चिकित्सा विज्ञान आदि विषयों में भाषावैज्ञानिक सिद्धान्तों का अनुप्रयोग अनिवार्यतः होता है। क्योंकि ये मुख्यतः भाषा से सम्बद्ध हैं। इन विधाओं को एक निश्चित सैद्धान्तिक सन्दर्भ देने में और उसके अध्ययन–विश्लेषण के लिए एक सुनिश्चित वैज्ञानिक तकनीक विकसित करने में भाषावैज्ञानिक सिद्धान्त एवं प्रणाली के अनुप्रयोग का सर्वाधिक योगदान है।

4.2 अनुवाद एवं व्यतिरेकी भाषाविज्ञान

'व्यतिरेक' का अर्थ है 'असमानता' या 'विरोध'। 'व्यतिरेकी भाषाविज्ञान' में दो भाषाओं की तुलना करके दोनों की असमानताओं का पता लगाया जाता है। अनुवाद के सन्दर्भ में कहें तो व्यतिरेकी विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य

रूपात्मक तुलनात्मकता और उस तुलानात्मकता के आधार पर स्रोत–भाषा और लक्ष्य–भाषा में विद्यमान असमानताओं की व्याख्या करना है। इस प्रकार व्यतिरेकी तकनीक के रूप में अनुवाद में स्रोत–भाषा और लक्ष्य–भाषा के बीच व्याप्त असमानताओं के प्रति भाषायी सजगता पैदा करना है। उदाहरण के लिए हिन्दी में तीन मध्यम पुरुष : तू, तुम, आप हैं जबकि अंग्रेजी में केवल 'लवन'। इस प्रकार निम्नलिखित वाक्यों में अंग्रेजी के 'small' शब्द के समानान्तर हिन्दी में 'छोटा', 'छोटी', 'छोटे' तीनों का प्रयोग हुआ है।

उदाहरण :

SmalI boy : छोटा लड़का

SmalI girl : छोटी लड़की

SmalI boys : छोटे लड़के

एकाध और उदाहरणों पर विचार करें :

हिन्दी के 'गानेवाली' शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद सन्दर्भानुसार 'singer' और 'about to sing' होगा। इस प्रकार 'टोपीवाला' का अनुवाद 'wearing cap' और 'cap seller' होगा। अतः कहा जा सकता है कि अनुवाद का सीधा सम्बन्ध व्यतिरेकी विश्लेषण से है।

4.3 अनुवाद एवं ध्वनिविज्ञान

'ध्वनि' भाषा की मूलभूत इकाई होती है तथा हर भाषा की अपनी अलग ध्वनि व्यवस्था होती है। दो भाषाओं के बीच कुछ समान, कुछ लगभग समान और कुछ भिन्न ध्वनियाँ होती हैं। यहाँ अंग्रेजी और हिन्दी भाषा की समान ध्वनियों की तुलना करते हैं :

हिन्दी :	क	ग	ज	ट	न	प	फ	ब	म	र	ल	व	श	स
अंग्रेजी :	k	g	j	t	n	p	f	b	m	r	l	v	sh	s

तुलना से स्पष्ट है कि अंग्रेजी में हिन्दी की 'त' ध्वनि नहीं है तो 'v' और 'W' का सूक्ष्म अन्तर हिन्दी में नहीं है। ऐसे और कई उदाहरण ढूँढे जा सकते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया, भाषा की मूलभूत इकाई है 'ध्वनि' और सार्थक ध्वनियों से 'शब्द' का निर्माण होता है। यह शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह 'रूप' बन जाता है। अनुवाद कर्म में हमेशा दो भाषाओं के बीच स्थित समानार्थक शब्दों की तलाश रहती है। मगर यह ज़रूरी नहीं कि एक भाषा की सम्पूर्ण अभिव्यक्ति किसी दूसरी भाषा में उपलब्ध हो। हर भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके समानार्थक शब्द दूसरी भाषा में उपलब्ध

नहीं होते, जैसे पारिभाषिक शब्द, मिथ–विशेष से जुड़े शब्द, सांस्कृतिक शब्द आदि। ऐसे में हम मूल शब्द का अनुवाद न कर उसे लक्ष्य–भाषा की लिपि में परिवर्तित कर ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेते हैं। इसके लिए हमें लिप्यंतरण या Transliteration का सहारा लेना पड़ता है और लिप्यन्तरण में ध्वनिविज्ञान का महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। कुछ शब्दों का लिप्यन्तरण द्रष्टव्य है :

Bureau - ब्यूरो, Voucher - वाउचर, Macbath - मैकबेथ आदि।

4.4 अनुवाद एवं अनुलेखन

अनुलेखन का अर्थ है स्रोत–भाषा के शब्द की वर्तनी पर ध्यान न देकर उसके उच्चारण को आधार मान कर लक्ष्य–भाषा में उस उच्चारण के अनुरूप लिखना। अनुलेखन को प्रतिलेखन भी कहा जाता है। अनुवाद प्रक्रिया के दौरान अनुद्य सामग्री में हमें दो प्रकार के शब्द मिलते हैं : 1– जिनका अनुवाद किया जाना है और 2– जिनका अनुवाद न कर थोड़े–बहुत रूपान्तर के साथ प्रायः मूल रूप में ही लक्ष्य–भाषा में लिख दिया जाता है। अनुलेखन में स्रोत–भाषा के ऐसे शब्दों को लक्ष्य–भाषा में लिखने की समस्या पर विचार किया जाता है जिसका सम्बन्ध लिपिविज्ञान से है। भोलानाथ तिवारी इसे स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि अनुवाद में ऐसी समस्या दो रूपों में आती है। यदि अनुवादक किसी से कोई बात सुनकर उसका अनुवाद करके लिख रहा है तो वह स्रोत–भाषा की ध्वनि को पहले लक्ष्य–भाषा की ध्वनि में परिवर्तित करता है और फिर लक्ष्य–भाषा की उन ध्वनियों को प्रतिनिधि लिपि–चिह्नों में उन्हें लिखता है–

स्रोत–भाषा ध्वनि ⟶ लक्ष्य–भाषा ध्वनि ⟶ लक्ष्य–भाषा लिपिचिह्न

किन्तु यदि वह किसी लिखित सामग्री से अनुवाद कर रहा हो तो इस क्रम में वृद्धि हो जाती है–

1.स्रोत–भाषा लिपि चिह्न ⟶ 2.स्रोत–भाषा ध्वनि ⟶
3. लक्ष्य–भाषा ध्वनि ⟶ 4.लक्ष्य–भाषा लिपिचिह्न

अनुवाद में स्रोत–भाषा लिपि चिह्न से सीधे लक्ष्य–भाषा लिपिचिह्न तक पहुँचने की प्रक्रिया सही नहीं होती। उदाहरण के लिए यदि लिपि चिह्नों के आधार पर 'Jesperson' का अनुवाद 'जेस्पर्सन' कर दिया जाए तो गलत होगा क्योंकि इसका सही अनुवाद तो 'येस्पर्सन' है। ऐसे ही 'Rousseau' और 'Meillet' का अनुवाद क्रमानुसार 'रूसो' और 'मेइये' होगा, न कि 'राउस्सेअउ' तथा 'मेइल्लेत'।

4.5 अनुवाद एवं रूपविज्ञान

रूपविज्ञान के अन्तर्गत भाषा की रूप–रचना का अध्ययन होता है। रूप–रचना में व्याकरणिक नियमों का आकलन एवं निर्धारण किया जाता है। इसके अध्ययन का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। चूँकि भाषा के रूप–विन्यास पर ही मूल का आशय छिपा रहता है, इसीलिए अनुवादक को स्रोत–भाषा और लक्ष्य–भाषा, दोनों की रूप–रचना, व्याकरणिक नियमों आदि से भलीभाँति परिचित होना चाहिए। उदाहरण के लिए अंग्रेजी के दो वाक्यों का गलत और सही अनुवाद द्रष्टव्य है :

उदाहरण–1

Prima has a pair of scissors.

क– प्रीमा के पास एक जोड़ी कैंची हैं। *(–गलत अनुवाद)*

ख– प्रीमा के पास एक कैंची है। *(–सही अनुवाद)*

उदाहरण–2

Her hair is beautiful.

क– उसका सुन्दर बाल है। *(–गलत अनुवाद)*

ख– उसके बाल सुन्दर हैं । *(–सही अनुवाद)*

कहने की ज़रूरत नहीं कि अंग्रेजी में 'a pair of scissors', 'a pair of trousers' आदि का प्रयोग होता है, मगर हिन्दी में उसे 'एक जोड़ी कैंची' या 'एक जोड़ी पायजामा' न कहकर सिर्फ़ 'एक कैंची' या 'एक पायजामा' कहा जाता है। ऐसे ही अंग्रेजी में 'hair' शब्द एकवचन के रूप में प्रयोग होता है, जबकि हिन्दी में 'बाल' बहुवचन में।

4.6 अनुवाद एवं शब्दविज्ञान

किसी भाषा की सार्थक ध्वनियों के समुच्चय को शब्द कहते हैं। शब्दविज्ञान में शब्दों को परिभाषित करके विभिन्न आधारों पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। अनुवाद में शब्दों के मूल अर्थ का स्रोत या प्रयोग सन्दर्भ को जानने के लिए शब्द का वैज्ञानिक विश्लेषण और वर्गीकरण करना पड़ता है। उदाहरण के लिए 'पानी' शब्द को लीजिए :

पानी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
जल	वारि	नीर	अम्बु	सलिल	अंभ	तोय	उदक	घनसार	तृसाह	प्रजाहित	सर

निश्चय ही इन समानार्थी शब्दों का प्रयोग भी कुछ हद तक निश्चित ही है और अनुवादक को सन्दर्भानुसार इन शब्दों में से एक ही प्रतिशब्द को ग्रहण करना पड़ता है। जैसे :

क– गंगा जल (गंगा नीर या गंगा पानी नहीं)

ख– पीने का पानी (पीने का नीर या जल नहीं)

ग– नीर ढलना' (जल या पानी ढलना नहीं)

('नीर ढलना = आँसू बहाना)

4.7 अनुवाद एवं अर्थविज्ञान

अर्थविज्ञान में भाषा के अर्थ पक्ष का अध्ययन किया जाता है। चूँकि अनुवाद में शब्द का नहीं अर्थ का प्रतिस्थापन होता है, इसीलिए अनुवाद में अर्थविज्ञान की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही अनुवाद कर्म में अनुवादक केवल अभिधार्थ के सहारे आगे नहीं बढ़ता, बल्कि निहितार्थ (लक्षणा और व्यंजना) को भी बराबर साथ लिए चलता है। उदाहरण के लिए एक पक्षी के सन्दर्भ में 'वह उल्लू है' कहना साधारण अर्थ का बोध कराता है, मगर एक व्यक्ति के सन्दर्भ में जब 'वह उल्लू है' कहा जाता है तो व्यंग्यार्थ का बोध कराता है। फिर जो 'उल्लू' हिन्दी में मूर्ख का प्रतीक है, वही 'Owl' अंग्रेजी में 'विद्वान' का प्रतीक है। इतना ही नहीं, कुछ शब्दों के कई अर्थ होते हैं। जैसे 'वारि' शब्द की तीन अर्थ छवियों को देखिए :

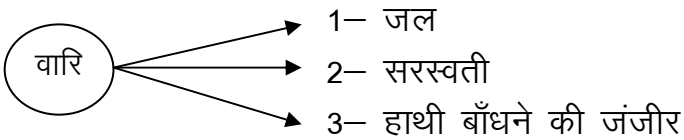

अनुवादक को सन्दर्भानुसार इन अर्थ छायाओं में से एक अर्थ को ग्रहण करना पड़ता है।

4.8 अनुवाद एवं वाक्यविज्ञान

अनुवाद में वाक्यविज्ञान की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। वाक्यविज्ञान में भाषा विशेष के सन्दर्भ में वाक्य रचना और इसके विभिन्न पक्षों का विश्लेषण किया जाता है । अनुवाद में भी लक्ष्य–भाषा की प्रकृति, व्याकरणिक नियम आदि का ध्यान रखना पड़ता है। उदाहरण के लिए 'वह भोजन कर रहा है' का अंग्रेजी अनुवाद 'He is doing meal.' न होकर 'He is taking meal.' होगा । यहाँ 'भोजन करना' हिन्दी भाषा की प्रकृति के अनुकूल है और 'taking meal' अंग्रेजी भाषा की प्रकृति के। ऐसे ही 'घोंघा धीरे–धीरे चल रहा है' का अंग्रेजी अनुवाद 'Snail is slowly slowly creeping.' न होकर 'Snail is creeping slowly.' होगा। कहने की ज़रूरत नहीं कि हिन्दी

भाषा की संरचना 'कर्ता + कर्म + क्रिया विशेषण + क्रिया' नियम पर आधारित होती है, जबकि अंग्रेजी भाषा की संरचना 'कर्ता + कर्म + क्रिया + क्रिया विशेषण' नियम पर।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुवाद का भाषाविज्ञान, ख़ासकर अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान एवं व्यतिरेकी भाषाविज्ञान से बहुत गहरा सम्बन्ध है। हर अनुवादक को भाषविज्ञान के इन नियमों की जानकारी होना ज़रूरी है, अन्यथा वह सही और सार्थक अनुवाद कर ही नहीं सकता।

5. बोध प्रश्न

1. भाषाविज्ञान और अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान के सम्बन्ध को स्पष्ट कीजिए ?

.....

.....

.....

.....

2. 'अनुवाद की भाषा' से आप क्या समझते हैं ?

.....

.....

.....

3. अनुवाद के सन्दर्भ में विकोडीकरण और कोडीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए ?

.....

.....

.....

.....

.....

4. अनुवाद एवं अर्थविज्ञान के अन्तर्सम्बन्ध की चर्चा कीजिए ?

.....

.....

.....

5. अनुवाद एवं अनुलेखन के सम्बन्ध को स्पष्ट कीजिए ?

.....

.....

.....

6. सारांश

एक भाषिक क्रिया होने के नाते अनुवाद का भाषा से ही नहीं, भाषाविज्ञान से भी गहरा सम्बन्ध है, क्योंकि भाषाविज्ञान में 'भाषा' का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। भाषा की संरचना में ध्वनि, शब्द, रूप, अर्थ, वाक्य आदि कई स्तर होते हैं। इनके आधार पर भाषाविज्ञान के अन्तर्गत ध्वनिविज्ञान, रूपविज्ञान, अर्थविज्ञान, वाक्यविज्ञान आदि का विधिवत व वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अनुवाद में भी ध्वनि, शब्द, रूप आदि की दृष्टि से स्रोत–भाषा और लक्ष्य–भाषा की तुलना करनी होती है। इन विविध स्तरों पर दो भाषाओं की प्रकृति, संरचना, शैली आदि में जो अन्तर होते हैं, वे समान प्रतीत होने वाले प्रसंगों में भी अलग–अलग अर्थ भर देते हैं। अनुवाद में भाषान्तरण के बावजूद अर्थ की रक्षा अपरिहार्य होती है।

भाषा और अनुवाद का भविष्य परस्पर अन्योन्याश्रित है। भाषा का भविष्य अनुवाद का भी भविष्य है। वर्तमान भाषा के रूप को पहचानते हुए भविष्य की कल्पना की जाती है। आज कई प्रकार के भाषा–रूप हैं, जैसे बोलचाल की भाषा, साहित्यिक भाषा, माध्यम भाषा, सम्पर्क भाषा, जनसंचार माध्यम की भाषा इत्यादि। बोलचाल की भाषा में व्याकरण के ज्ञान की आवश्यकता नहीं, जबकि साहित्यिक भाषा में रचनाधर्मिता प्रकट होने के कारण व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है।

7. बोध प्रश्नों के उत्तर

1. देखें भाग 3.2
2. देखें भाग 3.1
3. देखें भाग 3.2
4. देखें भाग 3.3.7
5. देखें भाग 3.3.4

इकाई–5 : अनुवाद : महत्ता एवं आवश्यकता

रूपरेखा

1. उद्देश्य
2. प्रस्तावना
3. अनुवाद की महत्ता
    - 3.1 अनुवाद की महत्ता
    - 3.2 21वीं सदी में अनुवाद की महत्ता
4. अनुवाद की आवश्यकता
    - 4.1 राष्ट्रीय एकता में अनुवाद की आवश्यकता
    - 4.2 संस्कृति के विकास में अनुवाद की आवश्यकता
    - 4.3 साहित्य के अध्ययन में अनुवाद की आवश्यकता
    - 4.4 व्यवसाय के रूप में अनुवाद की आवश्यकता
    - 4.5 नव्यतम ज्ञान–विज्ञान के क्षेत्रों में अनुवाद की आवश्यकता
5. बोध प्रश्न
6. सारांश
7. बोध प्रश्नों के उत्तर
8. स्व–विकास के लिए कुछ कार्य

1. उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आपः

- अनुवाद की महत्ता से परिचित होंगे;
- अनुवाद की आवश्यकता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे;
- 21वीं सदी में अनुवाद की प्रासंगिकता को समझ सकेंगे;

2. प्रस्तावना

अनुवाद के सामान्य परिचय, अनुवाद–प्रक्रिया, प्रकृति, प्रकार आदि की चर्चा के उपरान्त प्रस्तुत अध्याय में 'अनुवाद : महत्ता एवं आवश्यकता' की चर्चा की जा रही है। भारत जैसे बहुभाषी देश में अनुवाद की महत्ता से परिचित होना परमावश्यक है। सांस्कृतिक सम्बन्धों से जुड़ने के कारण

अनुवाद का महत्त्व दिनोंदिन बढ़ रहा है। भाषाओं के बीच में सद्भाव और समझदारी के पुल बाँधने का पुनीत कर्म अनुवाद से ही सम्भव होता है। समाजों और देशों के बीच की मैत्री को अनुवाद मजबूत बनाता है।

3. अनुवाद की महत्ता

3.1 अनुवाद की महत्ता

उत्तर–आधुनिक युग में अनुवाद की महत्ता व उपादेयता को विश्वभर में स्वीकारा जा चुका है। वैदिक युग के 'पुनः कथन' से लेकर आज के 'ट्रांसलेशन' तक आते–आते अनुवाद अपने स्वरूप और अर्थ में बदलाव लाने के साथ–साथ अपने बहुमुखी व बहुआयामी प्रयोजन को सिद्ध कर चुका है। प्राचीन काल में 'स्वांतः सुखाय' माना जाने वाला अनुवाद कर्म आज संगठित व्यवसाय का मुख्य आधार बन गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो अनुवाद प्राचीन काल की व्यक्ति परिधि से निकलकर आधुनिक युग की समष्टि परिधि में समा गया है। आज विश्वभर में अनुवाद की आवश्यकता जीवन के हर क्षेत्र में किसी–न–किसी रूप में अवश्य महसूस की जा रही है। और इस तरह अनुवाद आज के जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बन गया है।

बीसवीं शताब्दी के अवसान और इक्कीसवीं सदी के स्वागत के बीच आज जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर हम चिन्तन और व्यवहार के स्तर पर अनुवाद के आग्रही न हों। भारत में अनुवाद की परम्परा पुरानी है किन्तु अनुवाद को जो महत्त्व 21वीं सदी के उत्तरार्द्ध में प्राप्त हुआ वह पहले नहीं हुआ था। सन् 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात् देश की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आया। विश्व के अन्य देशों के साथ भारत के आर्थिक एवं राजनीतिक समीकरण बदले। राजनैतिक और आर्थिक कारणों के साथ विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी का विकास भी इस युग की प्रमुख घटना है जिसके फलस्वरूप विभिन्न भाषा–भाषी समुदायों में सम्पर्क की स्थिति उभर कर सामने आयी। आज विश्व के अधिकांश बड़े देशों में एक प्रमुख भाषा के साथ–साथ अन्य कई भाषाएँ भी गौण भाषा के रूप में समान्तर चल रही हैं। अतएव एक ही भौगोलिक सीमा की राजनैतिक, प्रशासनिक इकाई के अन्तर्गत भाषायी बहुसंख्यक भी रहते हैं और भाषायी अल्पसंख्यक भी। अतः विभिन्न भाषाभाषियों के बीच उन्हीं की अपनी भाषा में सम्पर्क स्थापित कर लोकतंत्र में सबकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सकती है। वस्तुतः अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बीच राजनैतिक, आर्थिक,

सांस्कृतिक तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ती हुई आदान–प्रदान की अनिवार्यता ने अनुवाद एवं अनुवाद कार्य के महत्त्व को बढ़ा दिया है।

हमारे देश में अनुवाद का महत्त्व प्राचीन काल से ही स्वीकृत है। प्रो. जी. गोपीनाथन ने ठीक ही लक्ष्य किया था कि अनुवाद आज व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकता बन गया है। आज के सिमटते हुए संसार में सम्प्रेषण माध्यम के रूप में अनुवाद भी अपना निश्चित योगदान दे रहा है। भारत जैसे बहुभाषी देश में अनुवाद की उपादेयता स्वयं सिद्ध है। भारत के विभिन्न प्रदेशों के साहित्य में निहित मूलभूत एकता के स्वरूप को निखारने के लिए अनुवाद ही एक मात्र अचूक साधन है। इस तरह अनुवाद द्वारा मानव की एकता को रोकनेवाली भौगोलिक और भाषायी दीवारों को ढहाकर विश्वमैत्री को और सुदृढ़ बना सकते हैं।

3.2 21वीं सदी में अनुवाद की महत्ता

21वीं शताब्दी के मौजूदा दौर में अनुवाद एक अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। भारत जैसे बहुभाषा–भाषी देश के जन–समुदायों के बीच अंतःसंप्रेषण के संवाहक के रूप में अनुवाद का बहुआयामी प्रयोजन सर्वविदित है। यदि आज के इस युग को 'अनुवाद का युग' कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि आज जीवन के हर क्षेत्र में अनुवाद की उपादेयता को सहज ही सिद्ध किया जा सकता है। धर्म–दर्शन, साहित्य–शिक्षा, विज्ञान–तकनीकी, वाणिज्य व्यवसाय, राजनीति–कूटनीति, आदि सभी क्षेत्रों से अनुवाद का अभिन्न संबंध रहा है। अतः चिंतन और व्यवहार के प्रत्येक स्तर पर आज मनुष्य अनुवाद पर आश्रित है। इतना ही नहीं विश्व–संस्कृति के विकास में भी अनुवाद की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। विश्व के विभिन्न प्रदेशों की जनता के बीच अंतःसंप्रेषण की प्रक्रिया के रूप में, उनके बीच भावात्मक एकता को कायम रखने में, देश–विदेश के नवीन ज्ञान–विज्ञान, शोध–चिंतन को दुनिया के हर कोने तक ही नहीं, आम जनता तक भी पहुँचाने में तथा दो भिन्न संस्कृतियों को नजदीक लाकर एक सूत्र में पिरोने में अनुवाद की महती भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। प्रो. जी. गोपीनाथन के शब्दों में, 'अनुवाद मानव की मूलभूत एकता की व्यक्ति–चेतना एवं विश्व–चेतना के अद्वैत का प्रत्यक्ष प्रमाण है'। अतः मौजूदा शताब्दी में अनुवाद ने अपनी संकुचित साहित्यिक परिधि को लाँघकर प्रशासन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तकनीकी, चिकित्सा, कला, संस्कृति, अनुसंधान, पत्रकारिता, जनसंचार, दूरस्थ शिक्षा, प्रतिरक्षा, विधि, व्यवसाय आदि हर क्षेत्र में प्रवेश कर यह साबित कर दिया है कि अनुवाद समकालीन जीवन की अनिवार्यता है।

हिन्दी अब बाजार–तंत्र की, व्यवसाय–व्यापार की, संचार–तंत्र की तथा शासकीय व्यवस्था की भाषा बन रही है। हिन्दी भाषा में और हिन्दी भाषा से अनुवाद की परम्परा अब सुदीर्घ होने के साथ–साथ पुख्ता और उल्लेखनीय भी होती जा रही है। लोठार लुत्से की बात पर गोर करें तो हमें हिन्दी, मराठी, बांग्ला, तमिल, तेलुगू या कन्नड़ लेखकों को उनकी भाषा के नहीं, भारतीय लेखक के रूप में देखना चाहिए। तभी भारतीय भाषाएँ भारत में और फिर विश्व में प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगी। ओड़िआ का लेखक सारे ओड़िशा में प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले तो यह कोई छोटी बात नहीं होगी, लेकिन ओड़िआ का लेखक पूरे भारत में प्रतिष्ठा हासिल करे तो यह उससे भी बड़ी बात होगी और उसके लिए चुनौती भी। और जो लेखक इस चुनौती को स्वीकार कर उसमें खरे उतरते हैं, वे सचमुच बड़े, बहुत बड़े लेखक सिद्ध होते हैं। इसके लिए जरूरी है कि भारतीय भाषाओं में अनुवाद की प्रक्रिया को तेज किया जाए। अनुवाद के बिना हमारा कोई भी लेखक यूरोप–अमेरिका तो दूर अपने ही देश में भारतीय लेखक के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए फकीर मोहन सेनापति, प्रतिभा राय, सीताकान्त महापात्र आदि अगर हिन्दी में अनूदित न होते तो क्या भारतीय लेखक के रूप में इतने बड़े पैमाने पर देश और दुनिया में स्वीकार्य हो सकते थे ? निश्चय ही नहीं। अनुवाद की ताकत पाकर ही कोई बड़ा लेखक और भी बड़ा सिद्ध होता और अपनी सामर्थ्य को दिग–दिगंत तक फैला पाता है। अनुवाद के बगैर वह, वह सिद्ध नहीं हो सकता, जो दरअसल वह होता है और यह काम अनुवादक ही कर सकता है। ऐसे में अनुवाद की महत्ता को जन–जन तक पहुँचाना और अनुवादकों को सम्मानजनक स्थान दिलाना जरूरी हो गया है ताकि भारतीय साहित्य और मनीषा को दूसरों तक पहुँचा कर राष्ट्रीय सेतु का निर्माण किया जा सके।

अनुवाद आज के व्यावसायिक युग की अपेक्षा ही नहीं अनिवार्यता भी बन गया है। यह एक सेतु है। सांस्कृतिक सेतु। सांस्कृतिक एकता, परस्पर आदान–प्रदान तथा 'विश्वकुटुम्बकम्' के स्वप्न को साकार करने की दृष्टि से अनुवाद की भूमिका उल्लेखनीय रही है। इस प्रकार वर्तमान युग में अनुवाद की महत्ता और उपयोगिता केवाल भाषा और साहित्य तक ही सीमित नहीं है, वह हमारी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय संहति और ऐक्य का माध्यम है जो भाषायी सीमाओं को पार करके भारतीय चिन्तन और साहित्य की सर्जनात्मक चेतना की समरूपता के साथ–साथ, वर्तमान तकनीकी और वैज्ञानिक युग की अपेक्षाओं की पूर्तिकर हमारे ज्ञान–विज्ञान के आयामों को देश–विदेश में संपृक्त करती है। दूसरे शब्दों में, अनुवाद विश्व–संस्कृति, विश्व–बंधुत्व, एकता और समरसता स्थापित करने का एक ऐसा सेतु है

जिसके माध्यम से विश्व ज्ञान–विज्ञान के क्षेत्र में क्षेत्रीयतावाद के संकुचित एवं सीमित दायरे से बाहर निकल कर मानवीय एवं भावात्मक एकता के केन्द्र बिन्दु तक पहुँच सकता है और यही अनुवाद की आवश्यकता और उपयोगिता का सशस्त एवं प्रत्यक्ष प्रमाण है।

आज जब सारा विश्व सामाजिक पुनर्व्यवस्था पर एक नये सिरे से विचार कर रहा है और व्यक्ति तथा समाज को एक नव्य स्वतंत्र दृष्टि मिली है वहीं हम भी व्यक्ति और देश को विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखने–समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अनुवाद का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। किसी समाज और देश की अभिव्यक्ति भाषा की सीमा के कारण एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रह जाए और दूसरों तक न पहुँच पाए तो विश्व स्तर पर एक नव्य सामाजिक पुनर्व्यवस्था की बात सार्थक कैसे हो सकती है!

4. अनुवाद की आवश्यकता

बीसवीं शताब्दी में देशों के बीच की दूरियाँ कम होने के परिणामस्वरूप विभिन्न वैचारिक धरातलों और आर्थिक, औद्योगिक स्तरों पर पारस्परिक भाषिक विनिमय बढ़ा है और इस विनिमय के साथ–साथ अनुवाद का प्रयोग और अधिक किया जाने लगा है। आज के वैज्ञानिक युग में अनुवाद बहुत महत्त्वपूर्ण हो गया है। यदि हमें दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है तो हमें उनके यहाँ विज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में हुई प्रगति की जानकारी होनी चाहिए और यह जानकारी हमें अनुवाद के माध्यम से मिलती है। विश्व की कुछ श्रेष्ठ कृतियों को अनुवाद के कारण ही सम्मान मिला। रवीन्द्रनाथ टैगोर की 'गीतांजलि' को नोबेल पुरस्कार उनके द्वारा किए गए अनुवाद कार्य पर ही मिला। शेक्सपियर, बर्नाड शा, अरस्तू, मार्क्स, गोर्की आदि जैसे विश्व के महान् साहित्यकारों एवं दर्शनशास्त्रियों को हम अनुवाद के माध्यम से ही जानते हैं। बहुत पहले हमारे राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने 'अनुवाद की आवश्यकता' पर बल देते हुए स्पष्ट कर दिया था–

''सज्जनो, भगीरथ प्रयत्न फलें आपके
ले जा सकते हैं यहाँ गंगा से प्रवाह को।
आप अनुवाद की ही योजनाएँ कर दें
तो कह सकें हम सगर्व विश्व–भर के
वाङ्मय में जो है वह चुन लिया हमने
और जो हमारा अपना है, अतिरिक्त है।''

आधुनिक युग में जैसे–जैसे स्थान और समय की दूरियाँ कम होती गईं वैसे–वैसे द्विभाषिकता की स्थितियों और मात्रा में वृद्धि हुई और इसके साथ–साथ अनुवाद में भी। अन्य भाषा–शिक्षण में अनुवाद विधि का प्रयोग न केवल पश्चिमी देशों में वरन् पूर्वी देशों में भी निरन्तर किया जाता रहा है। हम यहाँ जीवन और समाज के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में अनुवाद की आवश्यकता की चर्चा करेंगे।

4.1 राष्ट्रीय एकता में अनुवाद की आवश्यकता

भारत जैसे विशाल राष्ट्र की एकता के प्रसंग मे अनुवाद की आवश्यकता असंदिग्ध है। भारत की भौगोलिक सीमाएँ न केवल कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिखरी हुई हैं बल्कि इस विशाल भूखण्ड में विभिन्न विश्वासों एवं सम्प्रदायों के लोग रहते हैं जिनकी भाषाएँ एंव बोलियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। भारत की अनेकता में एकता इन्हीं अर्थों में है कि विभिन्न भाषाओं, विभिन्न जातियों, विभिन्न सम्प्रदायों एवं विभिन्न विश्वासों के देश में भावात्मक एवं राष्ट्रीय एकता कहीं भी बाधित नहीं होती। एक समय में महाराष्ट्र का जो व्यक्ति सोचता है वही हिमाचल का निवासी भी चिन्तन करता है। भारत के हजारों वर्षों के अद्यतन इतिहास चिन्तन ने इस धारणा को पुष्ट किया है कि मध्ययुगीन भक्ति आन्दोलन से लेकर आज के प्रगतिशील आन्दोलन तक भारतीय साहित्य की दिशा एक रही है। यह बात अनुवाद के द्वारा ही सम्भव हो सकी कि जिस समय गोस्वामी तुलसीदास राम के चरित्र पर महाकाव्य लिख रहे थे, हिन्दी के समानान्तर ओड़िआ में बलराम, बांग्ला में कृत्तिवास, तेलुगु में पोतना, तमिल में कम्बन तथा हरियाणवी में अहमदबख्श अपने–अपने साहित्य में राम के चरित्र को नया रूप दे रहे थे। स्वतंत्रता आन्दोलन में जिस साम्राज्यवाद और सामन्तवाद के विरोध की चिंगारी सुलगी थी उसका उत्कर्ष छायावादी दौर की विभिन्न भारतीय भाषाओं की कविता में मिलता है।

4.2 संस्कृति के विकास में अनुवाद की आवश्यकता

दुनिया के जिन देशों में विभिन्न जातियों एवं संस्कृतियों का मिलन हुआ है वहाँ सामासिक संस्कृति के निर्माण में अनुवाद की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। अनुवाद की परम्परा के अध्ययन से पता चलता है कि ईसा के तीन सौ वर्ष पूर्व रोमन लोगों का ग्रीक के लोगों से सम्पर्क हुआ जिसके फलस्वरूप ग्रीक से लैटिन में अनुवाद हुए। इसी प्रकार ग्यारहवीं, बारहवीं शताब्दी में स्पेन के लोग इस्लाम के सम्पर्क में आए और बड़े पैमाने पर योरपीय भाषाओं में अरबी का अनुवाद हुआ। भारत में भी विभिन्न जातियों एवं

विश्वासों के लोग आए। आज की भारतीय संस्कृति जिसे हम सामासिक संस्कृति कहते हैं उसके निर्माण में हजारों वर्षों के विभिन्न धर्मों, मतों एवं विश्वासों की साधना छिपी हुई है। इन सभी मतों एवं विश्वासों को आत्मसात कर जिस भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है उसके पीछे अनुवाद की महत्त्वपूर्ण भूमिका असंदिग्ध है।

4.3 साहित्य के अध्ययन में अनुवाद की आवश्यकता

साहित्य के अध्ययन में अनुवाद का महत्त्व आज व्यापक हो गया है। साहित्य यदि जीवन और समाज के यथार्थ को प्रस्तुत करता है तो विभिन्न भाषाओं के साहित्य के सामूहिक अध्ययन से किसी भी समाज, देश या विश्व की चिन्तन–धारा एवं संस्कृति की जानकारी मिलती है। अनुवाद का महत्त्व निम्नलिखित साहित्यों के अध्ययन में सहायक है–

(1) भारतीय साहित्य का अध्ययन।
(2) अन्तर्राष्ट्रीय साहित्य का अध्ययन।
(3) तुलनात्मक साहित्य का अध्ययन।

भारतीय साहित्य के अध्ययन से यह पता चलता है कि विभिन्न साहित्यक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक आन्दोलनों में हिन्दी एवं हिन्दीतर भाषा के साहित्यकारों का स्वर प्रायः एक जैसा रहा है। मध्यकालीन भक्ति आन्दोलन, स्वतन्त्रता आन्दोलन तथा नक्सलबाड़ी आन्दोलनों को प्रायः सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य में अभिव्यक्ति मिली है।

अन्तर्राष्ट्रीय साहित्य के अनुवाद से ही यह तथ्य प्रकाश में आया कि दुनिया के विभिन्न भाषाओं में लिखे गए साहित्य में ज्ञान का विपुल भण्डार छिपा हुआ है। भारत में अन्तर्राष्ट्रीय साहित्य का अनुवाद तो भारत में सूफियों के दार्शनिक सिद्धान्तों के प्रचलन के साथ ही शुरू हो गया था; किन्तु इसे व्यवस्थित स्वरूप आधुनिक युग में ही प्राप्त हुआ। शेक्सपियर, डी.एच. लॉरेंस, मोपासाँ तथा सार्त्र जैसे चिन्तकों की रचनाओं के अनुवाद से भारतीय जनमानस का साक्षात्कार हुआ एवं कालिदास, रवीन्द्रनाथ टैगोर एवं प्रेमचन्द की रचनाओं से विश्व प्रभावित हुआ।

दुनिया के विभिन्न भाषाओं के अनुवाद द्वारा ही तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन में सहायता मिलती है। तुलनात्मक साहित्य द्वारा इस बात का पता लगाया जाता है कि देश, काल और समय की भिन्नता के बावजूद विभिन्न भाषाओं के रचनाकारों के साहित्य में साम्य और वैषम्य क्यों है ? अनुवाद के द्वारा ही जो तुलनीय है वह तुलनात्मक अध्ययन का विषय बनता है। प्रेमचन्द

और गोर्की, निराला और इलियट तथा राजकमल चौधरी एवं मोपासाँ के साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन अनुवाद के फलस्वरूप ही सम्भव हो सका।

4.4 व्यवसाय के रूप में अनुवाद की आवश्यकता

वर्तमान युग में अनुवाद ज्ञान की ऐसी शाखा के रूप में विकसित हुआ है जहाँ इज्जत, शोहरत एवं पैसा तीनों हैं। आज अनुवादक दूसरे दर्जे का साहित्यकार नहीं बल्कि उसकी अपनी मौलिक पहचान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से हुए विकास के साथ भारतीय परिदृश्य में कृषि, उद्योग, चिकित्सा, अभियान्त्रिकी और व्यापार के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है। इन क्षेत्रों में प्रयुक्त तकनीकी शब्दावली का भारतीयकरण कर इन्हें लोकोन्मुख करने में अनुवाद की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

बीसवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध रोजगार के क्षेत्र में अनुवाद को महत्त्वपूर्ण पद पर आसीन करता है। संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के पश्चात् केन्द्र सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों में राजभाषा प्रभाग की स्थापना हुई जहाँ अनुवाद कार्य में प्रशिक्षित हिन्दी अनुवादक एवं हिन्दी अधिकारी कार्य करते हैं। आज रोजगार के क्षेत्र में अनुवाद सबसे आगे है। प्रति सप्ताह अनुवाद से सम्बन्धित जितने पद यहाँ विज्ञापित होते हैं अन्य किसी भी क्षेत्र में नहीं।

4.5 नव्यतम ज्ञान–विज्ञान के क्षेत्रों में अनुवाद की आवश्यकता

औद्योगीकरण एवं जनसंचार के माध्यमों में हुए अत्याधुनिक विकास ने विश्व की दिशा ही बदल दी है। औद्योगिक उत्पादन, वितरण तथा आर्थिक नियन्त्रण की विभिन्न प्रणालियों पर पूरे विश्व में अनुसंधान हो रहा है। नई खोज और नई तकनीक का विकास कर पूरे विश्व में औद्योगिक क्रान्ति मची हुई है। इस क्षेत्र में होने वाले अद्यतन विकास को विभिन्न भाषा–भाषी राष्ट्रों तक पहुँचाने में भाषा एवं अनुवाद की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

वैज्ञानिक अनुसंधानों को तीव्र गति से पूरे विश्व में पहुँचा देने का श्रेय नव्यतम विकसित जनसंचार के माध्यमों को है। आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, कृषि तथा व्यवसाय आदि सभी क्षेत्रों में जो कुछ भी नया होता है वह कुछ ही पलों में टेलीफोन, टेलेक्स तथा फैक्स जैसी तकनीकों के माध्यम से पूरे विश्व में प्रचारित एवं प्रसारित हो जाता है। आज जनसंचार के माध्यमों में होने वाले विकास ने हिन्दी भाषा के प्रयुक्ति–क्षेत्रों को विस्तृत कर दिया है। विज्ञान, व्यवसाय, खेलकूद एवं विज्ञापनों की अपनी अलग शब्दावली हैं। संचार माध्यमों में गतिशीलता बढ़ाने का कार्य अनुवाद द्वारा ही सम्भव हो सका है तथा गाँव से लेकर महानगरों तक जो भी अद्यतन सूचनाएँ हैं वे

अनुवाद के माध्यम से एक साथ सबों तक पहुँच रही हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि अनुवाद ने आज पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरो दिया है।

5. बोध प्रश्न

1. अनुवाद की महत्ता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ?

.....

.....

.....

.....

.....

2. अनुवाद की आवश्यकता की सविस्तार चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

6. सारांश

आज के सिमटते हुए संसार में सम्प्रेषण माध्यम के रूप में अनुवाद भी अपना निश्चित योगदान दे रहा है। भारत जैसे बहुभाषी देश में अनुवाद की उपादेयता स्वयं सिद्ध है। भारत के विभिन्न प्रदेशों के साहित्य में निहित मूलभूत एकता के स्वरूप को निखारने के लिए अनुवाद ही एकमात्र अचूक साधन है। इस तरह अनुवाद द्वारा मानव की एकता को रोकनेवाली भौगोलिक और भाषायी दीवारों को ढहाकर विश्व–मैत्री को ओर सुदृढ़ बना सकते हैं।

आज का युग अनुवाद का युग है क्योंकि जीवन के हर क्षेत्र में अनुवाद की आवश्यकता का अनुभव किसी–न–किसी रूप में अवश्य किया जा रहा है। मौजूदा दौर में अनुवाद अपनी प्रारंभिक साहित्यिक सीमा को लाँघकर ज्ञान–विज्ञान की हर शाखा में सक्रिय है। भारत जैसे बहुभाषा–भाषी संप्रेषण के संवाहक के रूप में अनुवाद की महत्त्वपूर्ण भूमिका स्वयंसिद्ध है। विश्व–संस्कृति के विकास में भी अनुवाद की भूमिका सर्वविदित है। इतना ही नहीं अनुवाद, दो भिन्न–भिन्न भाषाओं के बीच सांस्कृतिक सेतु का काम करता है

जिससे दो भिन्न समुदायों, समाजों के मध्य भावात्मक एकता स्थापित होती है। दुनिया के जिन देशों में विभिन्न जातियों एवं संस्कृतियों का मिलन हुआ है वहाँ सामासिक संस्कृति के निर्माण में अनुवाद की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

7. बोध प्रश्नों के उत्तर

1. देखें भाग 3
2. देखें भाग 4

8. स्व–विकास के लिए कुछ कार्य

1. अनुवाद एक अभ्यासिक कला है। इसके लिए कम–से–कम दो भाषाओं का ज्ञान बहुत जरूरी है। मौजूदा परिस्थिति में भारत जैसे बहुभाषी देश में अपने मातृभाषा के अलावा हिन्दी और अंग्रेजी का ज्ञान बहुत ही जरूरी है। अतः आप सभी को हिन्दी और अंग्रेजी के अखबार, द्विभाषी पत्र–पत्रिकाएँ आदि पढ़ना चाहिए, इससे आप इन दोनों भाषाओं की प्रकृति, संरचना, शब्द रूप से सहज ही परिचित होंगे।
2. पुस्तकालयों में उपलब्ध महत्त्वपूर्ण पुस्तकों के मूल–पाठ व उनके अनुवाद पहले पढ़िए और फिर दोनों की तुलना कीजिए।
3. विभिन्न अनूदित पुस्तकों को पढ़िए और उनमें दिए गए महत्त्वपूर्ण निर्देशों, नियमों, उदाहरणों पर ध्यान दीजिए।

उपयोगी पुस्तकें :

1. अनुवाद विज्ञान, भोलानाथ तिवारी, किताबघर प्रकाशन, दिल्ली
2. अनुवाद विज्ञान, सं. डॉ. नगेन्द्र, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
3. अनुवाद कला, डॉ. एन. ई. विश्वनाथ अय्यर, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली
4. अनुवाद विज्ञान की भूमिका, कृष्णकुमार गोस्वामी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
5. अनुवाद साधना, डॉ. पूरनचन्द्र टंडन, अभिव्यक्ति प्रकाशन, दिल्ली
6. अनुवाद भाषाँ–समस्याएँ, डॉ. एन. ई. विश्वनाथ अय्यर, ज्ञान गंगा, दिल्ली
7. अनुवाद और मशीनी अनुवाद, वृषभप्रसाद जैन, सारांश प्रकाशन, दिल्ली
8. अनुवाद की समस्याएँ, जी. गोपीनाथन एवं एस. कंदस्वामी, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद
9. अनुवाद सिद्धान्त एवं प्रयोग, जी. गोपीनाथन, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद
10. अनुवाद सिद्धान्त एवं व्यवहार, डॉ. रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव व डॉ. कृष्णकुमार गोस्वामी, आलेख प्रकाशन, दिल्ली
12. अनुवाद सिद्धान्त, डॉ. सुरेश कुमार, वाणी प्रकाशन, दिल्ली
13. अनुवाद विज्ञान, सं. बालेन्दु शेखर तिवारी, प्रकाशन संस्थान, दिल्ली
14. अनुवाद : प्रक्रिया एवं प्रयोग, डॉ. छबिल कुमार मेहेर, अनन्य प्रकाशन, दिल्ली
15. बैंकों में अनुवाद प्रविधि, डॉ. सीता कुचितपादम, भारतीय अनुवाद परिषद, दिल्ली

:नोटस् :